डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026 आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-23, अंक-11, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित 01 अक्टूबर 2025 बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, निःशुल्क

बस्तर ओलम्पिक 2025-26: पंजीयन प्रारंभ, युवाओं की प्रतिभा को मिलेगी नई उड़ान

बस्तर की प्रतिभाओं को खेलों की मुख्यधारा से जोड़ने और युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के लिए राज्य शासन ने "बस्तर ओलम्पिक 2025-26" की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का पंजीयन प्रारंभ हो गया है। वन भैंसा और पहाड़ी मैना पिछले वर्ष की तरह इस बार भी प्रतियोगिता के शुभंकर होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर ओलम्पिक सिर्फ खेल आयोजन नहीं, बल्कि यह बस्तर के युवाओं के जीवन में नई उम्मीद और ऊर्जा जगाने का अभियान है।

प्रतियोगिता की रूपरेखा

पंजीयन :
22 सितम्बर से 20 अक्टूबर 2025

ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता :
25 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2025

जिला स्तरीय प्रतियोगिता :
5 नवम्बर से 15 नवम्बर 2025

संभाग स्तरीय प्रतियोगिता : 24 नवम्बर से 30 नवम्बर 2025

ये खेल है शामिल

बस्तर ओलम्पिक में कुल 11 खेल एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कराते, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल और रस्साकशी शामिल होंगे।
प्रतियोगिता जूनियर (14 से 17 वर्ष) और सीनियर (कोई आयु सीमा नहीं) वर्ग में होगी।

आयोजन की प्रक्रिया

मुख्य आयोजन : खेल एवं युवा कल्याण विभाग नोडल विभाग : गृह विभाग
आयोजन स्तर : ब्लाक, जिला और संभाग स्तरीय
समिति गठन : ब्लाक स्तर पर कलेक्टर द्वारा समिति, जिला स्तर पर सीईओ जिला पंचायत/वरिष्ठ अधिकारी नोडल अधिकारी

पंजीयन एवं पंजीयन प्रक्रिया

बस्तर संभाग के "सभी गावों के सभी युवा की अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी कराये जाने हेतु समग्र प्रयास आयोजन समितियों के माध्यम से किया जाएगा। इस हेतु अधिक संख्या में पंजीयन कराया जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों का पंजीयन किया जाना अनिवार्य है। खिलाड़ियों को पंजीयन प्रपत्र आफलाईन एवं ऑनलाईन पद्धति से भी जमा करने की सुविधा दी जानी है।

केयर कनेक्ट

3,119 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

रायपुर के ओमाया गार्डन में आयोजित छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट कार्यक्रम में 3,119 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे 7,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि नई औद्योगिक नीति से छत्तीसगढ़ निवेशकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बना है। हेल्थकेयर, वेलनेस और पर्यटन क्षेत्र में 2,466 करोड़ से अधिक निवेश प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर में मेडिसिटी को राष्ट्रीय मेडिकल हब बताया और पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की।

राष्ट्रीय सेवा योजना

स्वार्थ से ऊपर सेवा भावना

रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयंसेवकों को सम्मानित किया। व्यक्तिगत स्वार्थ से परे होकर किया गया हर कार्य सेवा और राष्ट्र निर्माण का कार्य है। प्रदेश में एक लाख से अधिक विद्यार्थी एनएसएस से जुड़कर समाजसेवा कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में एनएसएस स्वयंसेवकों की भूमिका सराहनीय है।

245 करोड़ 80 लाख रूपए के 77 विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास

धमतरी में विकास का महा उपहार, 51 महतारी सदन करेलीबड़ी को नपं का दर्जा, जीजामगांव में खुलेगा आईटीआई

धमतरी जिला के मगरलोड विकासखंड के ग्राम करेली बड़ी में 245 करोड़ 80 लाख रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किया। श्री साय ने धमतरी जिले के कुरूद विधानसभा क्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय महतारी सदन शुभारंभ कार्यक्रम में 51 महतारी सदनों का लोकार्पण किया और जिले को विकास का उपहार दिया। उन्होंने धमतरी जिले को 83 करोड़ रुपये से अधिक की विकास सौगात दी।

औद्योगिक विकास

- ग्राम करेली बड़ी और भालूझूलन में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 16 करोड़ 61 लाख रूपए की लागत से आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा। जी-जामगांव औद्योगिक क्षेत्र में 6 करोड़ की लोकार्पण किया।

सड़क और अधोसंरचना

- धमतरी जिले में 9 सड़कों के निर्माण और सुधार कार्यों का शिलान्यास किया। 119 करोड़ 79 लाख रूपए खर्च किए जायेंगे। गौरव पथ योजना के तहत 1 करोड़ 70 लाख रूपए से बने गातापार और बकली मार्ग का भी किया।

पेयजल एवं सिंचाई

- जल जीवन मिशन के तहत लगभग 30 करोड़ रूपए की लागत के 39 कार्य का लोकार्पण किया। कोड़ेबोड़ में सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत 26 करोड़ 37 लाख से निर्मित योजना का लोकार्पण किया।

शिक्षा एवं कौशल विकास

- 27 करोड़ 67 लाख रूपए की लागत से आईटीआई भवन, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज और लाइवलीहुड कॉलेज भवन का शिलान्यास।
- 7 करोड़ 53 लाख रूपए से बने कृषि महाविद्यालय भवन एवं छात्रावास का लोकार्पण।

स्वास्थ्य व सामाजिक विकास

- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 50 लाख की लागत से कंवर समाज भवन (मधुबन धाम, राकांडीह) की आधारशिला भी रखी।
- मगरलोड विकासखंड के भेण्डी में 75 लाख रूपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण।

धमतरी, कुरूद में विकास कार्यों की घोषणा

- ग्राम करेली बड़ी में महाविद्यालय की स्थापना।
- कुरूद के जी. जामगांव में नवीन आईटीआई की स्वीकृति।
- ग्राम पंचायत करेली बड़ी और खट्टी को मिलाकर नगर पंचायत का दर्जा प्रदान।
- नगर पंचायत कुरूद एवं भखारा में शहरी जल प्रदाय योजना का विस्तार- 30 करोड़ रुपये।
- भेण्डरी से बरोंडा एनीकट निर्माण हेतु - 45 करोड़ रुपये।
- नगर पंचायत कुरूद को नगरपालिका परिषद का दर्जा।
- कुरूद नगर पंचायत के विकास कार्य - 2 करोड़ रुपये।
- नगर पंचायत भखारा- 1.5 करोड़ रुपये।
- खट्टी एनीकट मरम्मत- 5 करोड़ रुपये।

'मनरेगा दर्पण' का शुभारंभ

ग्रामीण अब सीधे देख सकेंगे विकास कार्यों की प्रगति

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में 'मनरेगा दर्पण' नागरिक सूचना पटल का शुभारंभ किया। इस पहल के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्यूआर कोड आधारित सूचना पटल लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन कर ग्रामीण पिछले तीन वर्षों में हुए मनरेगा कार्यों का विवरण, व्यय और प्रगति रिपोर्ट सीधे मोबाइल पर देख सकेंगे। यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर है। अब गांव के लोग किसी कार्यालय या अधिकारी पर निर्भर हुए बिना योजना की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। 'मनरेगा दर्पण' पोर्टल और सूचना पटल से सभी रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेंगे।

जीएसटी बचत उत्सव

सीएम श्री विष्णु देव साय ने बाजारों का लिया जायजा

नवरात्रि पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर के प्रमुख बाजारों का भ्रमण कर व्यापारियों और उपभोक्ताओं से संवाद किया। उन्होंने जयस्तंभ चौक से महात्मा गांधी मार्ग होते हुए गुरुनानक चौक तक पैदल भ्रमण कर दुकानों में जीएसटी बचत उत्सव के स्टीकर लगाए और नए कर सुधारों से होने वाली प्रत्यक्ष बचत की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी 2.0 से कर प्रणाली सरल और पारदर्शी हुई है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। व्यापारियों और ग्राहकों ने इस पहल को उत्साहपूर्ण बताया।

"स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार"

सुदूर अंचलों में पहुंच रही स्वास्थ्य सेवाएँ

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल ''स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार'' के अंतर्गत प्रदेश के प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय मिशन (PM JANMAN) क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में पिछड़ी जनजातीय समूहों (PVTGs) सहित 7,825 लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सकों और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा समग्र स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की गईं। राज्य के 24 जिलों में 85 शिविरों और 51 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से सामान्य ओपीडी, बीपी, मधुमेह, एनीमिया, मातृत्व सेवाएं, मलेरिया, सिकल सेल, टीबी, कैंसर स्क्रीनिंग, टीकाकरण और परिवार नियोजन सेवाओं का लाभ लिया गया।

पिक ऑफ द वीक

दंतेश्वरी देवी (दंतेवाड़ा)

14वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर जगदलपुर से 80 किलोमीटर दूर दंतेवाड़ा कस्बे में स्थित है। दंतेवाड़ा का नाम पूर्ववर्ती काकतीय शासकों की अधिष्ठात्री देवी दंतेश्वरी के नाम पर रखा गया है। वे बस्तर राज्य की कुलदेवी हैं। यहां के राजा के साथ आंध्र प्रदेश के वारंगल से आयी और शंखिनी डंकनी नदी के बीच में विराजित हुई और बाद में दंतेवाड़ा नगर उनके नाम पर बसायी गयी।

जॉब अलर्ट

इंडियन ओवरसीज बैंक
पदः ग्रुप ए, बी और सी
पद संख्याः 127
अंतिम तिथिः 03 अक्टूबर
www.iob.in

केनरा बैंक
पदः ट्रेनी
पद संख्याः 22000
अंतिम तिथिः 06 अक्टूबर
www.canmone y.in

उत्तराखंड चयन सेवा
पदः स्पेशल एजुकेटर
पद संख्याः 128
अंतिम तिथिः 07 अक्टूबर
www.sssc.uk.gov.in

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन
पदः अप्रेंटिस
पद संख्याः 523
अंतिम तिथिः 11 अक्टूबर
iocl.com

साउदर्न रेलवे
पदः विभिन्न
पद संख्याः 67
अंतिम तिथिः 12 अक्टूबर
rrcmas.in

आरआरबी
पदः सेक्शन कंट्रोलर
पद संख्याः 368
अंतिम तिथिः 14 अक्टूबर
indianr ailways.gov.in

MPPSC
पदः नर्सिंग ऑफिसर
पद संख्याः 12
अंतिम तिथिः 24 अक्टूबर
mppsc.mp.gov.in

छत्तीसगढ़ संदर्भ

- **भौगोलिक क्षेत्रः** 601634 हेक्टेयर
- **कुल विधानसभा सीट** : 4 (तुलसीपुर, गैसड़ी, उतरौला, बलरामपुर)
- **तहसील की संख्या** : 12 (बलरामपुर, रामानुजगंज,रामचन्द्रपुर, वाड्रफनगर, रघुनाथनगर, चलगली, डौरा-कोचली, राजपुर, शंकरगढ़, कुसमी, सामरी, चांदो)
- **विकासखण्ड** : 06 (कुसमी बलरामपुर, रामचन्द्रपुर, वाड्रफनगर, राजपुर, शंकरगढ़,)
- **जनपद पंचायत** : 06 (कुसमी बलरामपुर, रामचन्द्रपुर, राजपुर, शंकरगढ़,)
- **नगर पंचायतः** 04 (कुसमी, रामानुजगंज, वाड्रफनगर, राजपुर)

स्रोत : https://balrampur.gov.in/

छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे ग्रीन कॉरिडोर एनएचएआई ने इस साल 2.71 लाख से अधिक पौधे लगाए

'एक पेड़ माँ के नाम 2.0' अभियान में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण की नई पहल

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) जहां एक ओर देश में सड़कों का जाल बिछा रहा है, वहीं दूसरी ओर राजमार्गों के किनारों और डिवाइडर्स पर पौधे लगाकर ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 'एक पेड़ माँ के नाम 2.0' अभियान के तहत इस साल छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे और डिवाइडर्स पर दो लाख 71 हजार से ज्यादा पौधे लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ-साथ प्राधिकरण उन्हें 'ग्रीन कॉरिडोर' में भी बदल रहा है।

तरक्की की राह के साथ ही हरियाली की छांव

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में 'एक पेड़ माँ के नाम 2.0' अभियान छत्तीसगढ़ में हरियाली, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की नई दिशा दे रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर दो लाख 71 हजार से अधिक पौधे रोपित होना इस बात का प्रमाण है कि सड़क निर्माण केवल विकास की आधारशिला नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वायु और हरित जीवन का भी संकल्प है। राष्ट्रीय राजमार्ग से छत्तीसगढ़ में नागरिकों को तरक्की की राह के साथ ही हरियाली की छांव भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि ग्रीन कॉरिडोर का यह प्रयास छत्तीसगढ़ को न केवल यातायात सुविधा में बल्कि पर्यावरणीय संतुलन में भी देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करेगा।

मुख्य परियोजनाओं में वृक्षारोपण

- रायपुर-विशाखापट्टनम (NH-130CD): 97,145 पौधे
- महाराष्ट्र सीमा-दुर्ग-रायपुर-ओडिशा सीमा (NH-53): 46,141 पौधे
- चांपा-कोरबा-कटघोरा (NH-149B): 23,020 पौधे
- बिलासपुर-कटघोरा (NH-130): 16,847 पौधे
- बिलासपुर-उरगा-पत्थलगांव (NH-130A): 14,400 पौधे
- सिमगा-रायपुर-धमतरी (NH-30): 5,406 पौधे

पौधरोपण की विशेषताएँ

पिछले वर्षों में क्षतिग्रस्त पौधों को बदलने के लिए 68,297 जगहों पर रिप्लांटेशन किया गया। एनएचएआई रायपुर के क्षेत्रीय अधिकारी श्री प्रदीप कुमार लाल ने कहा, "'एक पेड़ माँ के नाम 2.0' केवल वृक्षारोपण अभियान नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ी के लिए निवेश है।

PGCIL में अप्रेंटिसशिप पदों पर भर्ती, आवेदन 16 अक्टूबर तक

पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) ने ट्रेड अप्रेंटिसशिप पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन 16 अक्टूबर 2025 तक www.powergrid.in पर किए जा सकेंगे। पदानुसार 10वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, बीई/बीटेक या बीएससी धारक उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तय की गई है। आवेदन निशुल्क रहेगा। उम्मीदवारों को NATS/NAPS पंजीकरण, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक विवरण, पासपोर्ट फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 7267 पदों पर भर्ती

जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में टीचिंग और नॉन-टीचिंग के 7267 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। इस अभियान के तहत प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, हॉस्टल वार्डन, महिला स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, क्लर्क व लैब अटेंडेंट सहित विभिन्न पदों को भर्ती किया जाएगा। 10वीं पास से लेकर मास्टर डिग्रीधारी उम्मीदवार तक आवेदन कर सकते हैं। 23 अक्टूबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट nests.tribal.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। इच्छुक युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है।

उत्तर मध्य रेलवे में 1763 पदों पर भर्ती, आवेदन 17 अक्टूबर तक

उत्तर मध्य रेलवे (RRC NCR) ने अप्रेंटिस के 1763 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। 10वीं, 12वीं और आईटीआई पास उम्मीदवार 17 अक्टूबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट rrcpryj.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। आयु सीमा अधिकतम 24 वर्ष है, जिसमें ओबीसी, एससी/एसटी, पीडब्ल्यूडी और भूतपूर्व सैनिकों को नियम अनुसार छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए निशुल्क है, जबकि अन्य के लिए 100 रुपये निर्धारित है।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में भर्ती, आवेदन 15 अक्टूबर तक

छत्तीसगढ़ व्यापम ने मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा (MLG125) की तिथियां घोषित की हैं। आवेदन 15 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। त्रुटि सुधार 16 से 18 अक्टूबर तक होगा। परीक्षा 30 नवंबर 2025 को पूर्वान्ह 11 से 12:15 बजे रायपुर में आयोजित होगी। प्रवेश पत्र 24 नवंबर से वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। विस्तृत जानकारी व्यापम की वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है।

रोजगार और नियोजन

प्रधान संपादक
डॉ. रवि मित्तल

संपादक
जवाहर लाल दरियो

महाप्रबंधक
हीरालाल देवांगन

उप महाप्रबंधक (विपणन)
नितिन शर्मा

सहायक संपादक
गीतांजलि नेताम

संपादकीय
संदीप सिन्हा

ग्राफिक डिजाइन-इलेस्ट्रेशन
धनेश कुमार दिवाकर

डाटा एंट्री आपरेटर
अंजुरानी, राकेश साहू

वितरण व्यवस्था
विक्रांत ताम्रकार

- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 03/2025/परीक्षा/दिनांक 25/09/2025 रोजगार नियोजन में प्रकाशन की तिथि: 01/10/2025

::विज्ञापन::

कोर्ट मैनेजर परीक्षा – 2025

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 29/09/2025 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 28/10/2025 रात्रि 11:59 बजे तक

संभावित प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 04/01/2026

महत्त्वपूर्ण

1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
4. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 29/09/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 28/10/2025 रात्रि 11:59 बजे तक **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 29/10/2025 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 31/10/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार नि:शुल्क होगा।
6. ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य नि:शुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 01/11/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 03/11/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रू. 500/- (रूपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार के दौरान अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल-निवासी एवं नि:शक्तजन संबंधी प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे।
7. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
8. सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् प्राप्त ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में सुधार संबंधी अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जाएगा।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से **माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़** के अंतर्गत **कोर्ट मैनेजर** के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:-

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **महिलाओं** के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से **नि:शक्तजनों** के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	**कोर्ट मैनेजर**	13	3	6	-	3	-	1	-	**2 (OA) (Locomotor disability include cerebral palsy, disease-free leprosy, dwarfism, acid attack victim and muscular dystrophy)**	22	56100 (स्तर-12)

Abbreviation Used : OA-One Arm

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन प्रक्रियाएं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी। माननीय उच्च न्यायालय से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर, रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन आ सकता है।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों तथा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों तथा महिलाओं के लिए रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार चिन्हांकन/चयन की कार्यवाही की जाएगी।

क्रमश:

महत्वपूर्ण टीप:-

1. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

2. यह विज्ञापन माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ के मांग-पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरुप प्रकाशित किया जा रहा है।

3. उपरोक्त पदों पर आवेदन करने हेतु Locomotor disability include cerebral palsy, disease-free leprosy, dwarfism, acid attack victim and muscular dystrophy श्रेणी के OA दिव्यांग अभ्यर्थी हीं मान्य होंगे।

4. परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम **Appendix-'A', 'B'** एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी **Appendix-'C'** में उल्लेखित है।

5. छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आएंगे।

6. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

(2) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य:-

(i) पद का नाम:- कोर्ट मैनेजर

(ii) सेवा श्रेणी:- राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)

(iii) वेतनमान:- 56100 (स्तर-12)

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(3) आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव :-

(i) भारत में यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर या सामान्य प्रबंधन में उन्नत डिप्लोमा के साथ स्नातक की डिग्री।

(ii) सिस्टम और प्रक्रिया प्रबंधन में 5 (पांच) वर्ष का अनुभव/प्रशिक्षण या आई.टी. सिस्टम प्रबंधन/मानव संसाधन प्रबंधन/वित्तीय प्रबंधन में 5 (पांच) वर्ष का अनुभव/प्रशिक्षण।

(iii) हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ राज्य की आधिकारिक भाषाओं में उत्कृष्ठ संचार कौशल।

(iv) उत्कृष्ट सामाजिक कौशल।

(v) उत्कृष्ट कम्प्यूटर अनुप्रयोग कौशल और

(vi) कानून के क्षेत्र में योग्यता और अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

टीप :- साक्षात्कार के समय दो अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त होने की दशा में आयु में वरिष्ठता के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी तथा यदि आयु भी समान हो तो विधि स्नातक को प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) परिवीक्षा अवधि:- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

महत्वपूर्ण नोट:-

(i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं का ''प्रमाण-पत्र'' ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।

(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

(5) निर्धारित आयु सीमा:- अभ्यर्थी की आयु दिनांक **01.01.2025** को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी हेतु 40 वर्ष) से अधिक न हो, उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी (सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी):-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ii) छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी।

(iii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।

(6) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

(7) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना:-

साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।

(i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

क्रमशः

(ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।

(iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र यथा-डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

(iv) अस्थिबाधित निःशक्तजन के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों को "अधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता'' का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(v) निःशक्तजन अभ्यर्थी, ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें।

(vi) **जाति प्रमाण पत्र:-**

(a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय/मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/ शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

(c) (i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पदों के विरूद्ध नहीं। ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ग के रूप में अनारक्षित वर्ग का ही चयन करना होगा।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय है। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु साक्षात्कार की अंतिम तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए।

शासकीय सेवकों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता व पिता का सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नती संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षो से विलग हैं तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(क) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें :-

(i) विज्ञापन की कंडिका - 5(i) एवं 5(iii) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

(8) **नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र:-**

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालय प्रमुख को ''अनापत्ति प्रमाण-पत्र'' सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(9) **आपराधिक अभियोजन:-**

(A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:-

(i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

(ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

(iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

(iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या

(v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

(vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

क्रमशः

(vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(ix) प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-

(i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या

(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा-

(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

(b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि-

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(10) अनर्हता:-

(A) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी:-

(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये। (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2023)

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(vi) कोई भी अभ्यर्थी, किसी उच्च न्यायालय, शासकीय अथवा वैधानिक निकाय एवं स्थानीय निकाय द्वारा सेवा या पद से बर्खास्त या हटाया गया हो, पात्र नहीं होगा।

(vii) कोई भी अभ्यर्थी जिसे नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध का दोषसिद्ध किया गया है, या किसी उच्च न्यायालय या संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोगों या किसी सेवा चयन बोर्ड या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थायी रूप से वंचित या अयोग्य ठहराया गया हो, पात्र नहीं होगा।

(11) पहचान चिन्ह:-

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं पर भी अपना नाम, अनुक्रमांक, कोई धार्मिक चिन्ह, कोई पहचान चिन्ह या उत्तर के अतिरिक्त अन्य कोई अक्षर, शब्द, वाक्य या कोई धार्मिक शब्द/वाक्य नहीं लिखा जाना चाहिए। उत्तर पुस्तिका में नीले व काले बॉल पॉइण्ट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी भी रंग अथवा किसी प्रकार के पेन जैसे स्केच पेन, हाइलाइटर, ग्लीटर पेन इत्यादि का प्रयोग न करें। ऐसा करने पर आयोग द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के उक्त परीक्षा के कुल प्राप्तांक में से 05 अंक की कटौती की जाएगी अथवा उक्त उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। उक्त संदर्भ में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(12) चयन प्रक्रिया:- विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं।

(i) उम्मीदवार का चयन मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।

(ii) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

(iii) परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम **Appendix-'A'** एवं **'B'** में दिया गया है।

क्रमशः

(13) **ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क:-**

(i) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं एवं नि:शक्तता से ग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए रूपए 300/- (रूपए तीन सौ) तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रूपए 400/- (रूपए चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।

(ii) **छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हें परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा।** लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थी लिखित परीक्षा/साक्षात्कार समाप्ति के 10 दिवस के भीतर अपने डेशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से परीक्षा शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत परीक्षा शुल्क वापसी के संबंध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे। केवल शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित रहे थे केवल उन्हें ही परीक्षा शुल्क की राशि प्रविष्ट किए गए बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। त्रुटि सुधार/पोर्टल शुल्क तथा शुल्क भुगतान हेतु लिए गए सेवा कर एवं अन्य शुल्क वापस नहीं होंगे।

(14) ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास एवं नि:शक्तता संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।

(i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रूपये 500/- का शुल्क लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी कॉलम में हां के स्थान पर नहीं का त्रुटि सुधार किया जाता है तो अभ्यर्थी को नियमानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। छत्तीसगढ़ स्थानीय/मूल निवासी कॉलम में नहीं के स्थान पर हां का त्रुटि सुधार किया जाता है तो शुल्क की राशि वापस नहीं होगी।

(ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पेमेंट गेटवे शुल्क तथा लागू कर निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।

(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

(iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।

(v) त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी।

(15) **परीक्षा के संबंध में:-** (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)

(i) **प्रत्येक प्रश्न का निर्धारित जगह पर उत्तर अपेक्षित है। उत्तर के स्थान परिवर्तन होने पर उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।**

(ii) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि, या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करता है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी एवं तत्संबंध में आवश्यक दस्तावेज परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर को रजिस्टर्ड पोस्ट/व्यक्तिगत रूप से आयोग में जमा कर सकते हैं।

(16) यह विज्ञापन माननीय उच्च न्यायालय के भर्ती नियम/मांग-पत्र के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है। सेवा की शर्तें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवाएं (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और आचरण) नियम, 2017 के अनुसार चयन प्रक्रिया की जाएगी, जो नियम उक्त भर्ती नियम में उल्लेखित नहीं है वह आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 (यथा संशोधित) के अनुसार प्रावधानित होगी।

(17) **यात्रा व्यय का भुगतान:-**

(i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी का पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थी हो को छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र/आयोग द्वारा किया जाएगा।

यात्रा व्यय का भुगतान केवल उन्ही अभ्यर्थियों को किया जाना है:-

1) जिनके पास आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक हो जिसमें उनकी बेसिक जानकारी प्रिंट की हुई हो।

2) जो किसी शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में न हों तथा उन्हें अन्य किसी स्रोत से कोई आय न हो रही हो।

नोट:- आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक रखने से कोई अभ्यर्थी यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा, आयोग उक्त समस्त तथ्यों की जाँच कर व तथ्यों के संबंध में आश्वस्त होने पर ही यात्रा व्यय स्वीकृत करेगा।

(ii) अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के समीपस्थ परीक्षा केन्द्र तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा। गृह जिले को छोड़कर अन्य जिले के परीक्षा केन्द्रों से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी के गृह जिले में परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है तो समीपस्थ जिले के परीक्षा केन्द्र तक यात्रा भत्ता देय होगा।

(18) किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांको की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।

(19) विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट में जारी/प्रकाशित किया जाता है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग के वेबसाइट/पोर्टल का सतत् अवलोकन करते रहें। आयोग उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/जानकारी की पृथक सूचना व्यक्तिशः जारी नहीं करेगा।

क्रमशः

(20) दावा आपत्ति निराकरण के बाद नियमानुसार संशोधित मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट में जारी किए जाएंगे।

(21) परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(22) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (**Interpretation**):-

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही /-
सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

क्रमशः

Appendix - 'A'

COURT MANAGER EXAM 2025

Examinations Scheme

The Examination shall be conducted by the CGPSC in three parts for the aforesaid post. In the first part Preliminary Examination shall be conducted to restrict the number of candidates to the reasonable limit for the Main Examination.

Scheme and syllabus for the Preliminary Examination & Main Examination has been published in the advertisement under **Appendix 'B'**. Information regarding Date & Time of Main Examination will be published later on.

Scheme of Preliminary Examination:-

(1) The question paper for Preliminary Examination shall be of 100 objective type questions. Each question will have four options for answer.

(2) Candidates shall have to choose the correct option.

(3) The language of question paper of Preliminary Examination and Main written Examination will be English and Hindi.

(4) The relatively more meritorious candidates from among those who appeared in the Preliminary Examination in the **ratio of 1:15** having regard to the number of vacancies shall be declared qualified for appearing in the Main Examination. The candidates obtaining equal marks as obtained by the last qualified candidates shall also be declared qualified, though, in consequence the number of candidates declared as qualified may exceed the parameter of 15 times the number of Notified Vacancies. The same procedure will be adopted for Viva-voce in the Main Examination while declaring the candidates qualified on the basis of merit possibly three times against the number of vacancies.

(5) The final selection will be on merit on the basis of total marks obtained in the written (Main) Examination and Viva-voce. The decision of the CGPSC with regard to calling the candidates for Viva-voce will be final. The maximum 15 marks are fixed for Viva-voce.

Note :-

(a) There shall be a screening test in the Preliminary Examination to shortlist candidates for the Main Examination. The mark sheet for Preliminary Examination will not be issued, nor the marks obtained in that Examination will be added while preparing merit list of the Main Examination.

(b) Considering the number of candidates the commission may conduct computer based test (CBT) instead of the traditional examination.

(c) The candidates remaining absent in the Viva-voce shall be disqualified for the selection.

(6) **Examination Centre:-**

For Preliminary Exam	For Main Exam
1. Bilaspur	1. Bilaspur
2. Durg-Bhilai	2. Raipur
3. Raipur	

Note:- It is not necessary that the Examination centre opted by the candidates will be allotted to them. Looking to the capacity and administrative convenience, the CGPSC will allot the Examination centre even other than mentioned or may delete any examination centre given in the list. The candidates shall have to appear in Examination at the allotted centre.

oooooo

क्रमशः

Appendix - 'B'

SYLLABUS

(A) Preliminary Examination **No. of Question-100 Time 2:00 Hour, Marks-100**

The Preliminary Examination shall be of the duration of two hours consisting of 100 objective type questions from the following:-

(1) Management **(2)** English **(3)** Hindi **(4)** General Mathematics **(5)** Computer **(6)** Reasoning **(7)** General Knowledge **(8)** General Knowledge relating to Chhattisgarh.

(B) Main Examination (Written) **Time 3:00 Hour, Marks-100**

For Main Examination, the relatively more meritorious candidates from among those who appeared in the Preliminary Examination in the ratio of 1:15 having regard to the number of vacancies shall be called for Main Examination (Written) to be conducted which shall consist of:

1. **Indian Legal System and General Awareness** (Salient Features of Indian Constitution, Fundamental Rights, Directive Principles of State Policy, Executive and Legislative of the Union and in the States, the Union Judiciary and the High Courts in the States; Judicial System in India, the role of lawyers, prosecution, community and police in judicial administration; Legal Aid System in India. Indian Economic System, Indian Political System, Current Affairs.)
2. **Principles of Management** (Concepts of General Management/Finance Management; Basic Managerial functions - Planning Process, Types of Plan, Organizing - Organization Structure, Types of Organization, Span of Control, Staffing, Directing-Motivation, leadership, Communication, Authority Relationship, Conflict Management, Controlling - Process and Techniques; Fundamental Areas of Management; Social and Ethical Issues in Management. Accounting-Accounting Process, Accounting Information System, Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), Accounting Concepts and Policies, Accounting Standards in India. Financial Management - Importance and Organization, Functions of Financial Manager, Essentials of a good Financial Plan, Financial Plan for new project and for growth and expansion of an established organization, Management of Fixed Capital, Working Capital and Earnings.)
3. **Human Resource Management and Office Management** (Concepts of Human Resource Management, Functions of Human Resource Management, Human Resource Planning, Job Analysis, Role Description, Recruitment and Selection, Training and Development, Performance Appraisal and Potential Evaluation, Job Evaluation and Wage Determination, Employee Welfare, Dispute Resolution and Grievance Management, Employee Empowerment. Office Management - Concepts, Principles of Scientific Office Management, Qualities, Duties and Responsibilities of Office Manager, Basic Principles of Office Organization, Methods of Promoting Office Productivity. Principles of Materials Management, Materials Management Manual. Purchasing - Policies, Types, Organization and Methods. Stores Keeping - Importance, Functions, Organization, Methods and Inventory Control.)
4. **Management Information Systems and Computer Applications** (Management Information Systems-Definition and Basic concepts, Managerial decision making process, Problem Solving process. Applications of Information Technology. Features of Computer Based Information System (CBIS), Decision Support Systems (DSS), Data Based Management Systems (DBMS). System Analysis and Design. Artificial Intelligence. Data Presentation, Analysis and Interpretation. Report Writing and Analysis of Reports. Important features of MS Office Software - Word Processing with MS-Word, Spread Sheet working with Excel, Presentation with Power Point. Working with common Accounting and Statistical Packages.)

(C) Viva-Voce

Relatively more meritorious candidates from among those who appeared in the Main Examination in the ratio of 1:3 having regard to the number of vacancies, shall be called for viva-voce to be conducted. **The Maximum marks for Viva voce would be 15.**

क्रमश:

Appendix - 'C'

''ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी''

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:- (कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तो को अच्छी तरह पढ़ लें) **ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।**

(1) पूर्व से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु रजिस्टर्ड अभ्यर्थी अपने लॉगिन आई. डी. व पासवर्ड का प्रयोग कर आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. एवं पहचान पत्र आई.डी. नम्बर इत्यादि की प्रविष्टि कर Generate OTP बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी को उसके द्वारा प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त हुए One Time Password (OTP) की प्रविष्टि हेतु दो टेक्स्ट बॉक्स प्राप्त होंगे जिनमें सही OTP प्रविष्ट करने पर अभ्यर्थी को अपना फोटो कैप्चर करने हेतु, प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर पर एक लिंक प्राप्त होगा जिसके माध्यम से मोबाइल कैमरा की मदद से Open Camera बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना लाइव फोटो अपलोड करेंगे। पूर्व से रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों को भी लॉगिन करने तथा कैप्चर फोटो बटन को क्लिक करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, लाइव फोटो अपलोड करने हेतु लिंक प्राप्त होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा कैप्चर किए हुए फोटो में उसका चेहरा स्पष्ट हो, दोनो कान स्पष्ट दिखाई दे रहे हों तथा आंखें खुली हुई हो। फोटो कैप्चर करते समय ऐसी दीवार अथवा सरफेस को बैकग्राउंड के रूप में प्रयुक्त करें जो एक ही हल्के रंग (Light Colour) का हो। अभ्यर्थी यह प्रयास करे कि कैप्चर किया हुआ चेहरा कैप्चर स्क्रीन के लगभग 80 प्रतिशत भाग पर आए। यदि अभ्यर्थी कैप्चर किए हुए फोटो को बदलना चाहे तो Re Capture बटन का प्रयोग कर वे ऐसा कर सकते हैं। पर्याप्त बड़े तथा स्पष्ट चेहरे युक्त फोटो को कैप्चर करने के पश्चात् Verify & Upload बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी लाइव फोटो अपलोड कर सकता है। फोटो अपलोड करने के पश्चात् अभ्यर्थी Upload Signature को क्लिक कर अपना हस्ताक्षर अपलोड करेंगे।

ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश:- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100 KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्केन किया जाए, खाली बैकग्राउंड को नहीं।

(2) फोटो एवं हस्ताक्षर सफलता पूर्वक अपलोड करने के पश्चात् Save बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर उपलब्ध आवेदन किए जाने वाले पद से संबंधित Apply बटन को क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उक्त प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी को पंजीयन के समय प्रविष्ट किए गए ई-मेल आई.डी. पर लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होंगे जिनकी मदद से अभ्यर्थी भविष्य में कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां कर लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि निर्धारित भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की पावती एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के सफलता पूर्वक भुगतान के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की पावती पर Application Status के सामने Submitted दर्शित हो रहा हो तथा Payment Status के सामने Paid दर्शित हो रहा हो, ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी का आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(3) अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाईल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाईल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाईल नंबर व ई-मेल आई.डी. पर दी जा सकती है।

(4) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रुप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रुप से पत्र/SMS से देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(5) आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर पोर्टल शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य उपलब्ध माध्यम से कर सकते हैं।

(6) ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाए।

(7) **आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अत: ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit करें तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करें।**

(8) ऑनलाइन आवेदन Submit करने तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगे जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा/अथवा भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु आयोग को प्रेषित अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

क्रमशः

(9) ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।

(10) आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार व/या सशुल्क त्रुटि सुधार की अवधि में वांछित सुधार कर लें।

(11) **ऑनलाइन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्कः-**

(i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार तथा सशुल्क त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोटः-

(i) आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।

(ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iii) किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।

(iv) कार्ड/नेटबैंकिंग/यूपीआई या अन्य किसी भी उपलब्ध माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदन को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्रः-

(1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।

(2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रुप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।

(4) अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु मूल पहचान पत्र जैसे – मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड अथवा ई-आधार कार्ड में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में परीक्षा केन्द्र/साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

आर.ओ.149/जी-252603739/3

~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक गरियाबंद

देवभोग रोड दर्रापारा, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

फोन नंबर -07706-299 303 Email:- gpolyg@rediffmail.com

क्रमांक 852/शापाग /स्था./2025 गरियाबंद दिनांक : 22/09/2025

शासकीय पॉलिटेक्निक गरियाबंद, देवभोग रोड, दर्रापारा, पिन कोडः 493889 जिला -गरियाबंद (छ.ग.) के मेकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में अंशकालीन व्याख्याता के लिए केवल पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 06.10.2025 है।

क्रमांक	संकाय	पदों की संख्या	आवश्यक शैक्षणिक योग्यता
01	मेकेनिकल	01	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रासंगिक संकाय में बी.ई./बी.टेक. में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष।

आवेदन करने हेतु पात्र अभ्यर्थी, संस्था की www.polygariyaband.ac.in पर विस्तृत विवरण देख सकते हैं।

अंशकालीन व्याख्याता (मेकेनिकल इंजीनियरिंग) अभ्यर्थियों हेतु मापदंड एवं अन्य सामान्य जानकारी

1. आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार किये जायेंगे।
2. संस्था में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 06.10.2025 है। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। पोस्टल डिलिवरी में विलंब के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होंगे।
3. आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रारूप दिये गये है। संस्था के वेबसाइट : www.polygariyaband.ac.in से प्रारूप का प्रिंट आउट निकालकर अभ्यर्थी उसे स्वयं पूरा भरकर अपना हस्ताक्षर कर प्रेषित करेंगे, सांथ ही अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र, (बी.ई./ बी.टेक. सभी सेमेस्टर की अंकसूची, एवं हायर सेकेंडरी का प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बी.ई./बी.टेक. उपाधि) की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न कर प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदन पत्र भेजने हेतु संस्था का पताः शासकीय पॉलिटेक्निक गरियाबंद, देवभोग रोड, दर्रापारा, पिन कोडः 493889 जिला गरियाबंद (छ.ग.) ।
5. आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने की स्थिति में 1:20 के अनुपात मे उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा। इस हेतु प्रवीणता सूची बी.ई./बी.टेक. उपाधि के प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जायेगी तथा यह सूची संस्था की वेबसाईट पर 09.10.2025 को अपलोड कर दी जावेगी। सूची मे साक्षात्कार का दिनांक, समय, स्थान का विवरण भी रहेगा।
6. साक्षात्कार हेतु पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय शैक्षणिक अर्हता से संबंधित सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति जो कि स्वहस्ताक्षरित हो, सांथ ही 02 फोटो भी कार्यालयीन रिकार्ड हेतु जमा करना अनिवार्य होगा।
7. **अंशकालीन व्याख्याता के चयन हेतु मापदंडः-**

क्र.	अंशकालीन व्याख्याता के चयन हेतु मापदंड	अंक (अधिकतम)
1	विहित न्यूनतम अर्हता (बी.ई./बी.टेक.) के लिए (अर्हकारी परीक्षा में कुल प्राप्तांक का 60 प्रतिशत)	60
2	शैक्षणिक अनुभव (इंजीनियरिंग महाविद्यालय / पॉलिटेक्निक स्तर पर 02 अंक प्रति वर्ष)	10
3	डेमो लेक्चर / साक्षात्कार या दोनों	30

नोट : यदि एक या एक से अधिक अभ्यर्थी का कुल अंक (सरल क्रमांक 1 से 3 तक) समान हो तो एम.ई/ एम.टेक. योग्यता को प्राथमिकता दी जावेगी ।

8. साक्षात्कार मे उपस्थित होने हेतु कोई भी यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

प्राचार्य
शासकीय पॉलिटेक्निक गरियाबंद (छ.ग.)

Application Form

1. अभ्यर्थी का पूरा नाम :-------------------------------
2. माता अथवा पिता का नाम :---------------------------
3. जन्मतिथि :---
4. शैक्षणिक योग्यता :----------------------------------

क्रमांक	शैक्षणिक योग्यता	Institute/University	Year of Passing	प्रतिशत / CGPA
1	बी.ई./बी.टेक (मेकेनिकल)			
2	हायर्स सेकेण्डरी			

5. मोबाईल नम्बर 01----------------02---------------
6. ईमेल एड्रेस :--
7. पत्राचार हेतु पता :------------------------------------
8. अन्य विवरण (जैसे एम.ई/ एम.टेक.,एन.एस.एस./एन.सी.सी.,खेलकूद, शैक्षणिक अनुभव यदि हो तो)

अभ्यर्थी का घोषणा

मै श्री/श्रीमती/कुमारी---------आत्मज श्री/श्रीमती----------------- यह घोषणा करता/करती हूँ, कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। गलत पाये जाने पर इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

आवेदन के साथ संलग्नक

1. स्वहस्ताक्षरित हायर्स सेकेण्ड्री अंक सूची की छाया प्रति (अनिवार्य)।
2. स्वहस्ताक्षरित बी.ई./बी.टेक अंकसूची एवं उपाधि की छाया प्रति (अनिवार्य)।
3. उच्च शैक्षणिक योग्यता एम.ई./ एम.टेक उपाधि की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति (यदि हो तो)
4. एन.सी.सी./एन.एस.एस., खेलकूद, शैक्षणिक अनुभव के संबंध मे प्रमाण पत्र स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति । (यदि हो तो)

दिनांक :---------

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर-----------
नाम-----------------------

टीपः- अभ्यर्थी निम्नलिखित गुगल फार्म लिंक पर पर अपना पूर्ण विवरण अनिवार्य रूप से भरेंगे। गुगल फार्म लिंकः- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA4aumJ8zYL7xKziEDVRUecpvKeflccfSRD1vllrMJDaBNwg/viewform

आर.ओ.150/जी-252603662/3

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग

कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध संभाग क्र. 1. रायपुर (छ.ग.)

सूचनाः-

जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2025 में जल संरक्षण एवं संर्वधन के क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ठ एवं सराहनीय कार्यो के लिये राज्य स्तरीय व्यक्तिगत पुरस्कार दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इच्छुक प्रतिभागी पुरस्कार हेतु जल संसाधन के विभागीय ई-मेल अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 04.10.2025 तक भाग ले सकते हैं। पुरस्कार के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट https://cgwrd.in में प्राप्त कर सकते हैं।

ई-मेल आई.डी. award@cgwrd.in

कार्यालय का पता मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर

कार्यपालन अभियंता
जल प्रबंध संभाग क्र.-1.
रायपुर (छ.ग.)

आर.ओ.151/जी-252603685/4

कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था-कोण्टा जिला- दक्षिण बस्तर सुकमा (छ.ग.)

Email ID- principalitikonta@gmail.com

क्रमांक/औप्रसं/सुकमा/स्थाप/मेप्र/भर्ती/2025/751/ सुकमा, दिनांकः 17/09/2025

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, प्रशिक्षण पक्ष, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक नं0-04, प्रथल तल, अटल नगर, नवा रायुपर (छ०ग०) द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशों के अनुसरण में जिला नोडल कार्यालय के अंतर्गत संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोण्टा हेतु एक वर्षीय व्यवसाय/ट्रेड मैकेनिक डीजल के लिए एवं नोडल संस्था शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुकमा हेतु द्विवर्षीय व्यवसाय/ट्रेड फिटर हेतु प्रशिक्षण सत्र 2025-26 के लिए प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत पद के रिक्त पदों (कार्यरत नियमित प्रशिक्षण अधिकारी/संविदा प्रशिक्षण अधिकारी/मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर शेष रिक्त पद) के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में इच्छुक आवेदक, आवेदन दिनाँक 19/09/2025 से दिनाँक 03/10/2025 सायं 05:00 बजे तक कार्यालय, नोडल अधिकारी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुकमा (छ0ग0) 494111 के नाम स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर कार्यालयीन समय में आवेदन जमा किया जा सकता है। पद की जानकारी, शैक्षणिक तकनीकी योग्यताएँ एवं निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार हैः-

1. रिक्त पदों की जानकारी (कार्यरत् नियमित प्रशिक्षण अधिकारी/संविदा प्रशिक्षण अधिकारी मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर शेष रिक्त पद):-

क्र.	जिला नोडल संस्था का नाम	संस्था का नाम	व्यवसाय/विषय	रिक्त पद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सुकमा जिला-दक्षिण बस्तर सुकमा (छ0ग0)	शास. औद्यो. प्रशि. संस्था सुकमा, जिला-द.ब. सुकमा (छ0ग0)	फिटर	01	
		शास. औद्यो. प्रशि. संस्था, कोण्टा जिला-द.ब. सुकमा (छ0ग0)	मैकेनिक डीजल	01	
			महायोग -	02	

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता-

स.क्र.	व्यवसाय का नाम	शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं
1	फिटर (Fitter)	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/एआईसीटीई अथवा यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/ प्रोडक्शन एवं मेनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण। 3. अभ्यर्थी डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट.) से उत्तीर्ण।
2	मैकेनिक डीजल (Mechanic Diesel)	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/एआईसीटीई अथवा यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/आटोमोबाईल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण। 3. हल्के मोटर यान (LMV) का वैद्य स्थायी लाईसेंस अनिवार्य है। 4. अभ्यर्थी डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से(ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट.) से उत्तीर्ण।

टीपः-इंजीनियरिंग शाखाओं की समतुल्यता/समकक्षता का निर्धारण प्रचलित विभागीय भर्ती नियम "छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी भर्ती नियम 15 मई 2019" के अनुसार किया जावेगा।

3. चयन प्रक्रिया एवं अंकों का निर्धारण

(अ) तकनीकी व्यवसाय हेतु :-

1. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी। अनुभव आवश्यक नही है।
2. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदो के लिए सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है उन पदो के लिए एक वर्षीय सी.टी.आई.ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (आईटीआई/डिप्लोमा/डिग्री) के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जायेगा।
3. सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र थारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदको के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।

(ब) नियम एवं शर्ते :-

1. मेहमान प्रवक्ताओ को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आंमत्रित किया जावेगा।
2. मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नही होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्ट कारण दर्शाते हुए उसे प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
3. शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदो पर आंमत्रित मेहमान प्रवक्ताओ की सेवाऐं स्वतः समाप्त हो जायेंगी।
4. मेहमान प्रवक्ता आंमत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित/स्थानान्तरित/संविदा पर पदस्थापना होने की स्थिति में उस पद के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओ व्यवसायो के लिये आंमत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओ व्यवसायो पर चयन स्वयं निरस्त माना जायेगा।
6. पृथक-पृथक संस्थाओ व्यवसायों के लिये पृथक-पृथक आवेदन पत्र जिले की नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में जमा करना होगा।
7. मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटा रू.140/- (रूपये एक सौ चालीस) मात्र की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे के मानदेय का प्रावधान है प्रति माह अधिकतम रू.15,000/- (रूपये पंद्रह हजार) रूपये मानदेय होगा। जो कि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा।
8. आवेदकों को छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है।
9. पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या बढ़ोत्तरी अथवा समाप्त की जा सकेगी। विज्ञापित पदों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय के लिये तैयार की गई प्रतीक्षा सूची से उसकी पूर्ति करने के लिये जिले के नोडल प्राचार्य निर्णय ले सकेगें। यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवार उपलब्ध नही है, तो अन्य जिलों की प्रतीक्षा से पूर्ति करने के लिये क्षेत्रीय संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेगें।
10. मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरांत यदि वह निर्धारित की गयी अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन निरस्त माना जाकर प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक 01 को अवसर दिया जायेगा। इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदको को अवसर दिया जायेगा।

(ब) आवेदन की प्रक्रिया :-

1. आवेदन दिनांक 19/09/2025 से 03/10/2025 समय-सायं 05:00 बजे तक अथवा इसके पूर्व स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र कार्यालय अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुकमा जिला-दक्षिण बस्तर सुकमा (छ0ग०) पिन

क्रमशः

कोड 494111 में जमा किये जा सकते है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किये जावेंगे। लिफाफे के उपर आवेदित संस्था एवं व्यवसाय का नाम का उल्लेख करना आवश्यक है। अन्य संस्था में जमा किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।

2. आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
3. स्वयं का फोटोग्राफ एवं वांछित संलग्न सभी प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित होना अनिवार्य है। ऐसे आवेदन जिनमें स्वयं का फोटोग्राफ एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों जिसके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है की संलग्न छायाप्रतियां स्वप्रमाणित नहीं पाये जाने पर आवेदन को निरस्त अमान्य किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र को सादे कागज में प्रस्तुत किया जाना है।
4. आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में आवेदक के हस्ताक्षर नहीं पाये जाने पर आवेदन को मान्य नहीं किया जायेगा।
5. आवेदन केवल कार्यालय, अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुकमा पोस्ट-सुकमा जिला-सुकमा पिन कोड-494111 को ही किया जाना है। अन्य संस्था में जमा किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।
6. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदकों को सूचना नहीं दी जाएगी।
7. यदि किसी आवेदक के विरूद्ध महिला उत्पीड़न का अथवा अन्य कोई अपराधिक अथवा दाण्डिक अथवा अनुशासनहीनता का प्रकरण हो तो प्रकरण की पूर्ण जानकारी आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य हैं। चयन होने के उपरांत उक्त जानकारी मिलने पर तत्काल प्रशिक्षण कार्य से पृथक कर दिया जायेगा एवं कार्यवाही नियमानुसार की जा सकेगी।
8. पृथक-पृथक संस्थाओ व्यवसायों/विषय के लिये पृथक-पृथक आवेदन जिले की नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में जमा करना होगा। आवेदन पत्र पर एक से अधिक व्यवसाय/विषय अथवा एक से अधिक संस्था का नाम अंकित होने पर आवेदन को निरस्त/अमान्य कर दिया जायेगा।
9. सर्वप्रथम उन आवेदकों का चयन किया जावेगा, जिन्होनें संबंधित व्यवसाय में ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी. आई./आर.वी.टी.आई./आई. टॉट. उत्तीर्ण किया है एवं अंकसूची संलग्न किया है।
10. जिस व्यवसाय हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं, उन व्यवसाय में शिक्षुता परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने पर मेरिट अंकों की गणना आवेदकों की तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जायेगी।
11. चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी। दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाईल नम्बर सही एवं स्पष्ट भरें। दिए गए मोबाईल नम्बर पर संपर्क ना हो पाने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
12. मेहमान प्रवक्ताओं की मुख्य सूची एवं प्रतीक्षा सूची प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से 07 दिवस तक मुख्य सूची के उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा उसके बाद 07 दिवस तक प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक 01 को अवसर दिया जाएगा तथा इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जाएगा।
13. चयनित होने के उपरांत आवेदक को प्रशिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किये जाने पर आवेदन पत्र में दिये गये शपथ-पत्र को नोटरीकृत कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(स) चयन प्रक्रिया नियम एवं शर्ते :-

1. तकनीकी व्यवसायों के लिए चयन की कार्यवाही क्रमशः निम्नानुसार की जावेगी-

(अ) प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदो के लिए ए.टी.आई.सी.टी.आई./एन.वी.टी. आई./आर.वी.टी. आई./आई. टॉट. आवश्यक है उन पदो के लिए एक वर्षीय ए.टी.आई.सी.टी.आई./एन.वी.टी./आई./आर.वी.टी.आई./आई. टॉट. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (आईटीआई/शिक्षुता परीक्षा/डिप्लोमा/डिग्री/पीजीडीसीए/बीसीए/एमसीए) के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जायेगा।

(ब) ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई.आर.वी.टी.आई./आई.टॉट. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदको के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।

टीपः-

1. तकनीकी व्यवसायों के लिए आवेदकों की तकनीकी योग्यता के प्रमाण-पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट अंकों की गणना कर चयन की कार्यवाही की जावेगी। मेरिट अंकों की गणना में ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई./आर.वी.टी.आई./आई. टॉट. के प्राप्तांकों को शामिल नहीं किया जावेगा।
2. यदि आवेदक के पास किसी व्यवसाय के पद के लिए एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / इंजीनियरिंग में उपाधि इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण पत्र में सर्वाधिक प्रतिशत अंक होगें उसी प्रमाण-पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।
3. तकनीकी व्यवसायों के लिए ऐसे आवेदक जो राज्य व्यवसायिक प्रमाण-पत्र परीक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण हैं, परन्तु राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र की अंकसूची में थ्योरी, वर्कशॉप कैल्कुलेशन एण्ड साईस, इंजीनियरिंग ड्राईंग के प्राप्तांक नहीं हैं तो ऐसे प्रमाण पत्रों के उन आवेदकों के मेरिट की गणना उनके राज्य व्यवसायिक परीक्षा प्रमाण-पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर किया जावेगा।
4. ऐसे राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र जिनमें केवल प्रेक्टिकल एवं सेशनल के अंक दिये गये हैं, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र की अंकसूची में थ्योरी, वर्कशॉप कैल्कुलेशन एण्ड साईस, इंजीनियरिंग ड्राईंग के प्राप्तांक नहीं हैं तो उनका उपयोग मेरीट सूची में नहीं किया जा सकेगा।
5. व्यवसाय-मैकेनिक डीजल के लिए हल्के मोटर यान (LMV) का वैद्य स्थायी लाईसेंस की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न न किये जाने की स्थिति में आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा।

नोडल अधिकारी
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
सुकमा, जिला-द.ब.सुकमा (छ0ग0)

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदित संस्था का नाम (जिस संस्था में चयनित होने के लिए आवेदन किया जा रहा है):-
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ------------------
2. व्यवसाय/विषय का नाम---------------------------

प्रति,

नोडल अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ,
जिला-दक्षिण बस्तर सुकमा (छ.ग.)

स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो

1. आवेदक का नाम :---------------------
2. पिता का नाम :---------------------
3. माता का नाम :---------------------
4. जन्मतिथि :---------------------
(शब्दो में) :---------------------
5. क्या पूर्व में मेहमान प्रवक्ता अथवा संविदा प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में सेवायें दी हैं उस संस्था का नाम :---------------------
6. अ) पत्राचार का पता :---------------------
ब) दूरभाष/मोबाईल नम्बर :1---------------------2.------------------
7. स्थायी पताः--

----
8. शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यताः-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड / विवि का नाम	व्यवसाय/विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक
1						
2						
3						
4						

9. अन्य :-----------------------------------

टीपः

1. योग्यता से संबंधित सभी एवं अन्य प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित कर लगाये जावे।

क्रमशः

(पिछले पृष्ठ का शेष)

2. प्रत्येक व्यवसाय/विषय के लिए पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत किये जावे।
3. छत्तीसगढ़ का निवासी होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न करें।
4. यदि अभ्यर्थी का किसी भी अपराधिक प्रकरण में संलिप्तता है तो उसकी जानकारी आवेदन पत्र में उल्लेख करना एवं संबंधित अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य है। इस संबध मे जानकारी आवेदन पत्र में नहीं दिये जाने पर एवं बाद में इसकी जानकारी प्राप्त होने पर प्रशिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया जायेगा।
5. जिले के अंतर्गत समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए जिला नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में ही आवेदन पत्र प्रेषित करना है।
6. उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, जो पूर्णतयः सत्य है।

हस्ताक्षर-----------
आवेदक का नाम-------

<u>शपथ पत्र</u>

मैं सहमत हूँ कि-

1. मैं संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, रायपुर द्वारा सुनिश्चित किया गया एवं समय-समय पर संशोधित/लागू मानदेय प्राप्त करूंगा/करूंगी।
2. मेरे द्वारा उपरोक्त की गई जानकारी एवं सभी प्रस्तुत प्रमाण पत्र सही है। प्रशिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित करने पर मैं इस बात का नोटराइज्ड शपथ पत्र भी प्रस्तुत करूंगा कि यदि जानकारी या प्रस्तुत प्रमाण पत्र गलत पाये जाते है तो मेरा चयन निरस्त किया जा सकेगा एवं अन्य दाण्डिक कार्यवाही की जा सकेगी।
3. मेरे विरूद्ध किसी भी महिला उत्पीड़न अथवा अपराधिक प्रकरण में संलिप्तता अथवा दाण्डिक प्रकरण अथवा अनुशासनहीनता की जानकारी बाद में प्राप्त होने पर प्रशिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. मैं कभी नियमित पद हेतु दावा नही करूंगा तथा यह चयन इस सत्र के लिए या आवश्यकता रहने तक या नियमित/संविदा कर्मचारी की पदस्थापना होने तक रहेगी। उसके लिए मैं सहमत हूँ।
5. मैं संस्था में प्राचार्य/अधीक्षक या उनके अधिकृत कर्मचारी के अधिनस्थ के निर्देशानुसार कार्य करूंगा/करूंगी। कोई अनुशासनहीनता/गलती मेरे द्वारा की जाने की शिकायत मिलती है तो संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक मुझे सुनवाई का मौका देते हुए यदि आवश्यक हुआ तो मुझे प्रशिक्षण कार्य से हटा सकेगें।
6. मै एक से अधिक संस्थाओं हेतु उक्त पद के लिये आवेदन करता/करती हूँ एवं चयन भी हो जाता है तो मैं एक ही व्यवसाय एवं संस्था में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाऊँगा दूसरे व्यवसाय अथवा संस्था के लिए चयन स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
7. मुझे ज्ञात है कि मेहमान प्रवक्ताओ की मुख्य सूची एवं प्रतीक्षा सूची प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से निर्धारित तिथि तक मुख्य सूची के उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा। उसके बाद प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक 01 को अवसर दिया जायेगा। इसी क्रम में प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदको को अवसर दिया जायेगा।
8. मैं यदि किसी संस्था में पूर्व में संविदा प्रशिक्षण अधिकारी/मेहमान प्रवक्ता रह चुका/चुकी हूँ, तो उसका विवरण एवं छोड़ने संबंधी कारण तथा कार्य प्रणाली दर्शाने वाला प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है।

संलग्नक :-

1----------------------
2---------------------
3----------------------
4----------------------
5----------------------
6----------------------
7----------------------

आवेदक के हस्ताक्षर-----------
नाम-----------------------
पता-----------------------
मो. नं.---------------------

आर.ओ.152/जी-252603690/3

कार्यालय-प्राचार्य नोडल अधिकारी
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजनांदगांव
जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

Phone 07744-296406 **E-mail:-itirjnd@rediffmail.com**

क्रमांक-औप्रसं/राज / स्थाप./ मेह.प्र./2025/1322/ राजनांदगांव, दिनांक 22/09/2025

इस नोडल संस्था के अंतर्गत आने वाले विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण सत्र 2025-26 के लिए व्यवसाय फिटर, मैकेनिक डीजल तथा सोलर टेक्निशियन (इलेक्ट्रीकल) के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु संबंधित व्यवसाय/विषय के प्रशिक्षण अधिकारी के स्वीकृत पदों के रिक्त पदों के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) के लिये आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में दिनांक 15.10.2025 (अपरान्ह 5 बजे) तक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) में आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) में निर्धारित प्रारूप में आवेदन केवल स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक के माध्यम से ही आवेदन जमा कर सकते हैं। विज्ञापन का विवरण संस्था के सूचना पटल पर देखा जा सकता है तथा आवेदन पत्र का प्रारूप, कार्यालय प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पेंड्री राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) से प्राप्त किया जा सकता है या जिले के वेब साईट https://rajnandgaon.nic.in/ डाउनलोड किया जा सकता है।

प्राचार्य/नोडल अधिकारी
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, राजनांदगांव,
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

आर.ओ.153/जी-252603687/5

कार्यालय-प्राचार्य
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कांकेर
जिला-उ.ब. कांकेर (छत्तीसगढ़)

Phone-07868-296467 Email: witiknkr@rediffmail.com

प्राचार्य/नोडल महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कांकेर अंतर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अंतागढ़ में व्यवसाय/विषय कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) में एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कांकेर में व्यवसाय-मैकेनिक डीजल में सत्र 2025-26 में प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराने हेतु स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) के लिये आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में दिनांक 03.10.2025 को सायं 5:00 बजे तक कार्यालय प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कांकेर जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ पिन- 494334 के नाम स्पीड पोस्ट / रजिस्टर डाक / सामान्य डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक आवेदक एन. आई.सी. (NIC) कांकेर के वेबसाईट www.kanker.gov.in पर जाकर विज्ञापन की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।

प्राचार्य
महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कांकेर,
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ०ग०)

आर.ओ.154/जी-252603708/4

कार्यालय-प्राचार्य
अग्रणी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कवर्धा
सरोदा बांध रोड, ग्राम-तारो खैरबना जिला-कबीरधाम (छत्तीसगढ़)

Phone-7772974779 Email:- itikwrd@rediffmail.com

कं./औ.प्र.सं./कवर्धा / स्थाप/मेह. प्रव./2025/1901 कवर्धा, दिनांक 23/09/2025

इस अग्रणी संस्था के अंतर्गत आने वाले विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण सत्र 2025 26 एवं 2025-27 के लिए व्यवसाय फिटर एवं वर्कशॉप कैल्कुलेशन एण्ड सांइस एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु संबंधित व्यवसाय/विषय के प्रशिक्षण अधिकारी के स्वीकृत पदों के रिक्त पदों के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) के लिये निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र दिनांक 13/10/2025 समय 5:30 बजे तक शास. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कवर्धा जिलाः- कबीरधाम (छ.ग.) में आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक अभ्यर्थी शास. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कवर्धा, जिलाः कबीरधाम (छ.ग.) में निर्धारित प्रारुप में आवेदन केवल स्पीड के माध्यम से ही जमा कर सकते हैं। विज्ञापन का विवरण इस संस्था के सूचना पटल पर देखा जा सकता हैं तथा आवेदन पत्र का प्रारुप कार्यालय प्राचार्य, शास. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.) से कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईड kawardha.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

अग्रणी शास. औद्यो. प्रशिक्षण संस्था
कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

आर.ओ.155/जी-252603719/4

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, एवं जिला परियोजना अधिकारी

समग्र शिक्षा, जिला-नारायणपुर (छ०ग०)

दूरभाष नं0-07781-252310 (फैक्स) 252310 email id rmsa narayan@gmail.com

क्रमांक/321/पीएमश्री / स्था०/संगीत प्रशि./विज्ञापन / 2025-26 — नारायणपुर, दिनांक 22/09/2025

// वॉक-इन-इन्टरव्यू विज्ञापन //

प्रबंध संचालक, राज्य परियोजना कार्यालय का पत्र क्र/2007/ समग्र शिक्षा/पीएमश्री योजना/2025 रायपुर दिनांक 26.06.2025 एवं संशोधित पत्र क्र/3018/समग्र शिक्षा/पीएमश्री योजना/2025 रायपुर दिनांक 08.08.2025 के द्वारा पीएमश्री योजना 2025-26 के अंतर्गत जिले में संचालित 02 पीएम श्री विद्यालयों में प्रतिमाह 10000.00 (शब्दो में दस हजार रू.मात्र) मानदेय पर संगीत प्रशिक्षकों की सेवाएं लिया जाना हैं। सेवाएं इसी शैक्षणिक सत्र (31 मार्च 2026 तक) गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से किया जाना है। नीचे दर्शित रिक्त पदों पर वॉक-इन-इन्टरव्यू का आयोजन दिनांक 06.10.2025 दिन-सोमवार को पूर्वान्हे 10:30 बजे से संलग्न समय सारिणी अनुसार आवेदन फार्म जमा एवं मूल प्रमाण पत्रों व अन्य अभिलेखों का सत्यापन स्थान कार्यालय जिला शिक्षा समग्र शिक्षा जिला नारायणपुर के कक्ष क्रमांक- 79 में आयोजित किया जावेगा।

इच्छुक अभ्यर्थी संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र पूर्ण कर मूल प्रमाण पत्र व अभिलेखों तथा उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय में वॉक-इन-इन्टरव्यू स्थल में उपस्थित होवें। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर डाक साधारण पोस्ट या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जावेगा । साथ ही निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। रिक्त पदों का विवरण वर्गवार निम्नानुसार हैः-

क्र	विद्यालय का नाम	पदनाम	पद संख्या	आरक्षण का विवरण	निर्धारित मानदेय (एकमुश्त प्रतिमाह)	निर्धारित योग्यता
1	2	3	4	5	6	7
1	पीएमश्री स्कूल पोर्टा केबिन देवगांव	संगीत प्रशिक्षक (अस्थाई 31 मार्च 2026 तक)	1	अनारक्षित (मुक्त)	10,000/-	न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संगीत में स्नातक की डिग्री या समकक्ष
2	पीएमश्री स्कूल पोर्टा केबिन ओरछा	संगीत प्रशिक्षक (अस्थाई 31 मार्च 2026 तक)	1	अनारक्षित (मुक्त)	10,000/-	

जिसे नारायणपुर जिले के वेबसाईट www.narayanpur.gov.in में देखा जा सकता है।

वॉक-इन-इन्टरव्यू हेतु दिशा निर्देशः-

क्र०	पद का विवरण	इन्टरव्यू दिनांक	वॉक-इन-इन्टरव्यू की समय सारिणी	कार्यवाही विवरण
1	संगीत प्रशिक्षक (अस्थाई) अनारक्षित-2	06.10.2025	प्रातः 11:00 बजे से 12:00 बजे तक	संलग्न आवेदन पत्र निर्धारित भरी हुई पूर्ण जानकारी के साथ अभ्यर्थियों का पंजीयन।
			दोपहर 01:00 से 02:00 बजे तक	पात्र/अपात्र सूची का प्रकाशन, दावा आपत्ति का निराकरण। 02:00 बजे पात्र/अपात्र की अंतिम सूची का प्रकाशन।
			03:00 से 05:00 बजे तक	पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार।
			05:30 बजे	अंतिम चयन सूची का प्रकाशन।

टीप :- उपरोक्त वॉक इन इन्टरव्यू में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में साक्षात्कार की तिथि में परिवर्तन/वृद्धि हो सकती है।

नियम एवं शर्ते :-

सभी नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 019668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

विज्ञापित पदों की संख्या घटाई, बढ़ाई अथाव पर्याप्त कारण से विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकता है। इसके लिए समिति का निर्णय अंतिम होगा।

विज्ञापित पदों में किसी एक ही संस्था हेतु अभ्यर्थी आवेदन कर सकते है।

उम्मीद्वारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 31 मार्च 2026 तक के लिए ही रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी वर्ष के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा।

संगीत प्रशिक्षक सेवाएं पूर्णतः अस्थायी है, एवं बिना कारण बताए कभी भी समाप्त की जा सकती है।

अनुबंध के आधार पर सेवाएं कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।

- चयनित उम्मीद्वार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जावेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी। और सेवा बगैर पूर्व सूचना के स्वयं समाप्त मानी जावेगी।
- आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
- चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदन को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।
- कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने/ चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में संगीत प्रशिक्षक को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन/अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
- इस पद हेतु निश्चत एवं एक मुश्त मानदेय रू. 10,000/- (अक्षरी दस हजार रू. मात्र) प्रति माह दिया जावेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
- आवेदक को छ०ग० राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं. इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
- आवेदक की उम्र 01 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जुलाई 2025 की स्थिति में की जावेगी। उम्र की पुष्टि हेतु 10वीं की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उम्र में शासन के नियमानुसार छुट का प्रवधान होगा।
- आस्थाई नियुक्ति 31 मार्च 2026 तक के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि आगामी वर्ष के लिए निरन्तर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
- निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप छानबीन उपरान्त पात्र अभ्यर्थियों का वॉक-इन-इन्टरव्यू दिनांक 06.10. 2025 को लिया जावेगा।

आवेदन की प्रक्रिया :-

- भर्ती एवं पात्रता की शर्ते एवं आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं योग्य इच्छुक अभ्यर्थी जिला सूचना केन्द्र (NIC) नारायणपुर की वेबसाइट www.narayanpur.gov.in से आवेदन पत्र डाउनलोड कर आवेदन का प्रिन्ट प्राप्त करें।
- छ०ग० का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र आवश्यक हो तो स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
- आवेदन के सभी कॉलम को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर भरें।
- पासपोर्ट साइज की फोटो निर्धारित स्थान पर चस्पा स्वप्रमाणित करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज शैक्षणिक योग्यता अन्य को स्वप्रमाणित कर संलग्न करें।
- संलग्न प्रमाण पत्रों को आवेदन पत्र में उल्लेखित क्रम में संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
- अपूर्ण आवेदन निर्धारित प्रारूप में गलत जानकारी को अस्वीकृत माना जायेगा।

चयन प्रक्रियाः-

1. प्रशिक्षकों का चयन गठित चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा।
2. चयन प्रक्रिया निर्धारित न्युनतम योग्यता के प्राप्त अंको का 70 प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जायेगा।
3. अनुभव हेतु प्रतिवर्ष 2 अंक निर्धारित है। अधिकतम 10 अंक अनुभव पर दिया जाना है। अनुभव का लाभ पूर्ण वर्षों में दिया जाना है। पीएम श्री में अध्यापन किये शिक्षकों को प्राथमिकता दिया जायेगा।
4. अंतिम चयन साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर होगा। साक्षात्कार 100 अंको का होगा। जिसमें गायन 30 वादन (हारमोनियम, तबला) 30 अंक, व्यक्तित्व परीक्षण 20 अंक तथा संप्रेषण कौशल-20 अंक का होगा।
5. उक्त पद पूर्णतः अस्थायी है। शासन के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर

(शेष पृष्ठ 20 पर)

कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी

महिला एवं बाल विकास विभाग (सखी वन स्टॉप सेंटर) जिला-सुकमा (छ.ग.)

क्र./1177 / मबावि. / स्थापना शाखा/2025-26 सुकमा, दिनांक 16/09/2025

संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक /7246/मबावि/2024-25 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 01.10.2024 एवं क्रमांक / 10478/ मबावि/मसमि/सखी-4/24-25 नवा रायपुर दिनांक 27.11.2024 के परिपालन में छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पत्र क्रमांक/4077 दिनांक 14.11.2022 के द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर सुकमा के नवीन वित्तीय मापदण्ड एवं मानव संसाधन के प्रावधान के अनुसार किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। सखी वन स्टॉप सेंटर का नवीन मागदर्शिका 2022 मापदण्ड अनुसार संचालन किया जाना है।

भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अतिरिक्त 'सखी' वन स्टॉप सेंटर नवा रायपुर में दैनिक कार्यों के संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाहियों के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है। इस हेतु पात्र आवेदकों से (व्यक्तिगत सेवाप्रदाता) निम्नानुसार उल्लेखित कार्यों के निर्वहन के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है। इस हेतु दिनांक 17/09/2025 से दिनांक 15/10/2025 तक समय प्रातः 10:00 बजे से 5:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला सुकमा (छ.ग.) में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक /स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही आंमत्रित किये जाते है जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	सेवा का नाम	सेवा प्रदाता की संख्या	निर्धारित एकमुश्त सेवा शुल्क	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (Qualification)	Rolrs & Responsibilities
01	Psychosocial counsellor	01 अना.	25780/ प्रतिमाह (लेवल-8)	45 वर्ष	• The services could be. Outsourced to any women having professional degree/diploma in psychology/psychiatry/near osciences with a background in health sector and preferably with at least 3 years' experience of working within a Government or Non-Government health project/programme at the district level.	• She will provide psychological counselling and guidance to the women affacted by voilence and support in referral services that may be deemed fit for the women affacted by voilence based in her needs. • She will help draft the case history of me women affacted by voilence.
02	Para Legal Personnel/ Lawyer	01 अना.	18420/प्रतिमाह (लेवल-6)	45 वर्ष	In the absence of Legal Advisors provided by District Legal Services Authority, the legal counselling service could be outsourced to any person having a degree in Law/ with legal training or knowledge of laws with at least 3 years' experience of working within a Government or Non-Government women related. Project/ programme at the district level or to any practicing Lawyer with at least 2 years' experience litigation in any court of law.	• She/he will inform and orient the woman about her legal rights and help/guide the woman to initiate legal proceedings against the abuse/violence suffered, if she is willing to do so. • She/he will coordinate/liaise with the Public Prosecutor or the SLSA/DLS A Lawyer, to support the woman even after her case has been filed in court as well as to ensure there is follow -up of the case to its logical conclusion. • She/he will simplify legal procedures for the affected women and advocate for her exemption from court hearings. • She/he will facilitate speedy and hassle free police and court pro ceedings through the employment of vedio conferencing facility forhe recording of statement of women affected by violence.
03	Security Guard/Night Guard	03 अना	11360/- प्रतिमाह (लेवल-1)	45 वर्ष	The services could be outsourced to any person who is Passed 8th from any recognized board having at least 2 years' experience of working as security personnel in a government or reputed organization at the district/state level. He she should preferably be retired military /para - military personnel.	• Security Guard/Night Guard will work in shifts to provide 24 hour servi ce at OSC. • The Security Guard/ Night Guard would be responsible for the overall security of OSC. • She/he would be responsible for safety of all capital assets, furniture and equipment at OSC.

उपरोक्त पदों हेतु सेवा प्रदाता के लिए नियम व शर्तेः

2. आयु सीमाः-

2.1 उपरोक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु चयन किये जाने वाले वर्ष के 01 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों को मिलाकर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

22 आयु के सत्यापन / समर्थन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 8वीं या 10वीं की अंकसूची जिसमें अंक तिथि अंकित हो के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूलप्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य है।

2.3 पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

2.4 आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2.5 चयनित अभ्यर्थी को चयन किये जाने के पश्चात् 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें समाप्त की जायेगी।

2.6 सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति कार्य है, अतः चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तद्संबंधी प्रमाण पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

2.7 सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीडितों की गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीडितों / प्रकरणों से संबंधित विषयवस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाये जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

2.8 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.9 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

2.10 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी / स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए।

2.11 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जाये।

2.12 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा।

2.13 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

2.14 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

2.15 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।

2.16 प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।

2.17 आवेदक अपनी अर्हता की जॉच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये

क्रमशः

निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

2.18 उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक-इन-इंटरव्यु पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी।

2.19 आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि 15/10/2025 तक स्वीकार किए जाएगे।

2.20 वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

2.21 योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

2.22 इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा।

2.23 इन सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

2.24 उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही सेवा शुल्क दिया जावेगा।

3. **नियुक्ति प्रक्रियाः-** मिशन शक्ति अतर्गत जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र (DHEW जिला स्तरीय हब) के लिए विस्तृत चयन प्रक्रिया के निर्देश दिए गए है, जिसका अनुश्रवण करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही जिला स्तरीय संचालन समिति के द्वारा किया जावेगा।

3.1 सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत स्वीकृत सभी पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होंगे।

3.2 सखी वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला स्तर पर गठित होने वाली चयन समिति भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित मापदंड के अनुसार चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेगी।

3.3 समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदंड (मैरिट) एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन आमंत्रित किया जाएगा। निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जायेगा। आवेदनों के मूल्याकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे-

3.4 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का WEIGHTAGE देते हुए अधिकतम 60 अंक ।

35 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 10 अंक।

3.6 राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।

3.7 उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।

3.8 वॉक इन इन्टरव्यू हेतु 20 अंक निर्धारित रहेगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। वॉक-इन-इंटरव्यू के दौरान इस आधार पर भी मापदंड रखा जाएगा।

3.9 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

3.10 छत्तीसगढ शासन महिला एवं बाल क्रमांक विकास विभाग के पत्र 3232/1538/सा/2024/50 दिनाक 10.09.2024 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है कि जिलों में स्थापित होने वाले जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र मे एकमुश्त वेतन / संविदा वेतन के पदों की पदपूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यदि इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता अनुभव के आधार पर यदि इनका चयन किसी पद पर वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए होता है तो वॉक-इन-इटरव्यू के दौरान इन्हें प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश है।

3.11 अतः कंडिका 3.10 के आलोक में सखी वन स्टॉप सेंटर के अतिशेष सेवाप्रदाता, जिनकी सेवायें समाप्त की गयी है अथवा प्रक्रियाधीन है यदि उनके द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर के पदों हेतु आवेदन किया जाता है तो समायोजन के उद्देश्य से इन सेवाप्रदाताओ की योग्यता, अनुभव के आधार पर इनके अनुभव का लाभ लेने के उद्देश्य से इनके आवेदन को प्राथमिकता दिया जावेगा।

3.12 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 2 के उप कंडिका 2.4. 2.5 एवं 2.6 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:10 के रेशियों में, जैसा चयन समिति उचित समझे वॉक-इन-इटरव्यू हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी।

4. **नियुक्ति की अवधिः-**

4.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में एकमुश्त सेवा शुल्क पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन / नियुक्त किया जाएगा तथा तपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

4.2 चयनित सेवा प्रदाता की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

4.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत सेवा प्रदाताओं की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

4.5 चयन के संबंध मे संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

4.6. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला रायपुर के सूचना पटल व जिले की वेबसाईट www.sukma.gov.in पर देखी जा सकती है।

4.7 उक्त विज्ञापन में केन्द्र प्रशासक, साईको सोशल काउंसलर, केसवर्कर, पैरा लीगल कार्मिक / वकील, पैरा मेडिकल कार्मिक, बहुउद्देशीय कर्मचारी / रसोईया, सुरक्षा गार्ड/नाईट गार्ड के पदो पर महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे तथा कार्यालय सहायक पद हेतु महिला या पुरुष अभ्यर्थी पात्र होगे।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

(शिवदास नेताम)
जिला मबावि अधिकारी
जिला-सुकमा (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप
पूर्व में संचालित 'सखी' वन स्टॉप सेंटर

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला-सुकमा (छ.ग.)

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटों पर हस्ताक्षर जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए चस्पा करें।

1. आवेदित सेवा का नाम :----------------------
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :----------------------
   (अंग्रेजी में) :----------------------
3. पिता/पति का नाम :----------------------
4. स्थायी पता :----------------------
5. (पत्र व्यवहार का पता) -------दूरभाष/मो.नं.------
6. जन्मतिथि (अंको में) :----------------------
   (शब्दो में) :----------------------
7. दिनांक 01/01/2025 को आयु :----------------------
8. लिंग पुरुष/महिला :----------------------
9. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति--------वर्ग----------
10. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं?----------------
11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता :---------------------
12. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि व जीवित बच्चों की संख्या----------
13. शैक्षणिक योग्यताः-
   (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्नकरें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड / संस्था का नाम	प्राप्तांक /पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

14. अन्य योग्यताः---

क्रमशः

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर बस्तर 494001 (छत्तीसगढ़)

दूरभाष (कार्या.): 07782-222006 (निवास) 227634, (फैक्स): 07782-222120
E-mail-ccfjagdalpur@rediffmail.com

वनरक्षक (खेल कोटे) महिला के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ राज्य, शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के जगदलपुर वृत्त के अधीन कार्यालयों / वनमण्डलो में वनरक्षक (खेल कोटे) महिला के कुल 02 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर के खेलों में प्रावीण्यता प्राप्त उम्मीदवारों से किया जाना है। इच्छुक उम्मीदवारों से दिनांक 13.10.2025 (सोमवार) सायं 5.00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में कार्यालय नोडल अधिकारी / वनण्डलाधिकारी बस्तर वनमण्डल जगदलपुर 494001 के पते पर पंजीकृत डाक (पावती सहित)/ स्पीड पोस्ट से ही भेजे जावें। कार्यालय में सीधे प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगें।

उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित खेल विधा से किया जावेगा।

क्र	खेल का नाम	महिला	पुरूष	योग
1	कैरम	01	0	01
2	तीरंदाजी	01	0	01
	योग	02	0	02

1. पदों की संख्या में वर्गवार कमी या वृद्धि हो सकती है। चयन/ नियुक्ति के समय वास्तविक रिक्तियों के विरूद्ध चयन/नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी ।
2. छ.ग. शासन तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम 2012 में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करना होगा ।
3. छ.ग. शासन वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र कमांक/एफ 1-53/2003/10-1/वन नया रायपुर दिनांक 06.07.2020 के अनुसार वनरक्षकों की सीधी भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अधीन भर्ती की जावेगी ।
4. छ.ग. शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 33/2023 के निर्देशानुसार चयनित वनरक्षकों को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किया जावेगा ।
5. आवेदन पत्र एवं भर्ती प्रक्रिया संबंधी नियम व शर्ते विभागीय वेबसाईट www.cgforest.com /www.forest.cg.gov.in पर उपलब्ध किये जायेगे।

मुख्य वन संरक्षक
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

आर.ओ.158/जी-252603724/4

(पिछले पृष्ठ का शेष)

15 अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते है।

16. अनिवार्य संलग्नकों की सूचीः-

1. जन्म तिथि हेतु 8वीं या 10 वीं की अंकूसची योग्यतानुसार।
2. 12 वीं अंकसूची
3. स्नातक की अंकूसची
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
5. व्यवसायिक पाठ्यकय का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
6. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र।
7. छत्तीसगढ़ राज्य का निवास प्रमाण पत्र
8. जाति प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार)

17 अन्य संलग्नकों का विवरण

1---------2------3------4--------5--------6-----

आवेदक का हस्ताक्षर
एवं नाम

// घोषणा पत्र //

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते है, तो मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थानः--------------- **आवेदक का हस्ताक्षर**
दिनांकः--------------

(पृष्ठ17 का शेष)

किसी भी समय पदच्युत किया जा सकेगा।

6. मूल प्रमाण पत्रों की जांच तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर अंतिम मेरिट सूची बनाई जाकर योग्य अभ्यर्थी की नियुक्ति का आदेश जारी किया जायेगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
सह जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा, जिला नारायणपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, एवं जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा, जिला-नारायणपुर (छ०ग०)

संगीत शिक्षक / प्रशिक्षक पद हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,
जिला शिक्षा अधिकारी,
सह जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा, जिला नारायणपुर (छ०ग०)

स्वप्रमाणित नवीनतम् पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा करें

1. आवेदित संस्था का नाम :------------------------------
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :------------------------------
   (अंग्रेजी में) :------------------------------
3. पिता/पति का नाम :------------------------------
4. जन्मतिथि (अंको में) :------------------------------
   (शब्दो में) :------------------------------
5. दिनांक 01.07.2025 को आयु वर्ष-----माह-----दिन-----------
6. रोजगार कार्यालय का नाम :------------------------------
   जीवित पंजीयन क्रं. व दिनांक :------------------------------
7. जाति (अनु.जाति/अनु.ज.जाति./अ.पि.व./सामान्य :-:---------------------
8. लिंग पुरुष/महिला :------------------------------
9. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :------------------------------
   :------------------------------
10. स्थायी निवास का पूर्ण पता :------------------------------
    :------------------------------
11. मोबाईल नंबर :------------------------------
12. क्या आवेदक छ०ग० राज्य का मूल निवासी है। :---------------------------
    यदि हों तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल :------------------------------
    निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करेंः-
13. क्या आवेदक विकलांग हैं। यदि हाँ तो विकलांगता :------------------------
    संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का जीवीत सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें
14. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :------------------------------
15. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

16. संलग्न प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित सूची :-
    1----------2--------3-------4---------5-------6------------

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम---------------

// घोषणा पत्र //

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे जानकारी के अनुसार सत्य हैं तथा इसमें दी गई जानकारी असत्य पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक---------
स्थान----------

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम--------------
पूरा पता-----------
मो.नं--------------

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियमों के प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर तथा चिन्हित अनुभाग स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में क्रमशः जिला स्तरीय समन्वयक (समन्वयक-वन अधिकार अधिनियम) एवं एमआईएस सहायक (सहायक-वन अधिकार अधिनियम) की नियुक्ति किया जाना है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	पद का नाम	मानदेय	पद की संख्या	निर्धारित अवधि	स्तर	रिमार्क
1	जिला स्तरीय समन्वयक (समन्वयक- वन अधिकार अधिनियम)	30,000/-	01	01 वर्ष	जिला स्तर	जिला स्तरीय समिति स्तर पर
2	एमआईएस सहायक (सहायक-वन अधिकार अधिनियम)	20,000/-	02	01 वर्ष	अनुभाग स्तर पर (लैलुंगा एवं धरमजयगढ़)	उपखण्ड स्तरीय समिति स्तर पर

पद की शर्तें:-

1. यह पद अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी होंगे तथा निर्धारित एवं नियत की गई अवधि के अंतर्गत सीमित होंगे।
2. यह पद पूर्णतः अस्थानांतरणीय (Non Transferable) होंगे।
3. धरती आबा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु वन अधिकार प्रकोष्ठ के गठन हेतु प्राप्त बजट अनुसार प्रथमतः 01 वर्ष तक सीमित होगी एवं द्वितीय वर्ष हेतु बजट प्राप्ति की दशा में द्वितीय वर्ष तक पदावधि का विस्तार होगा।

पात्रता की शर्तें:-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो। कम्प्यूटर का ज्ञान होना चाहिये, जिसमें एमएस ऑफिस इत्यादि सम्मिलित है।
   वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कियान्वयन का (समन्वयक-वन अधिकार अधिनियम के लिए न्यूनतम 03 वर्ष एवं सहायक वन अधिकार अधिनियम के लिए न्यूनतम 02 वर्ष) मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो जैसे जिले में जिला स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ तथा उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ में कार्यरत रहे जिला परियोजना समन्वयक तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ता को वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य कुशलता एवं प्रदर्शन के आधार पर अनुभव का weightage दिया जा सकता है। इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी शासकीय अथवा FRA क्रियान्वयन के क्षेत्र में पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा ।
2. अधिकतम आयु 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
3. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिये, इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। जनजातीय पंरपराओं, रीतिरिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिये।

4. आवेदन की प्रक्रिया तथा निर्धारित तिथि :-

(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर तथा आवश्यक दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायगढ़ के कार्यालय में रजिस्ट्रर डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करेंगे।

(ii) आवेदन पत्र के परीक्षण उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्र के आधार पर पात्रता रखने वाले आवेदकों को संबंधित जिला मुख्यालय में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा। आवेदक को साक्षात्कार हेतु आने जाने का व्यय स्वयं वहन करना होगा।

(iii) साक्षात्कार के समय शैक्षणिक तथा अनुभव संबंधी मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। साक्षात्कार के लिये निर्धारित तिथि से दूरभाष/ईमेल माध्यम से अवगत कराया जावेगा।

(iv) साक्षात्कार हेतु जिला कलेक्टर/अध्यक्ष, डीएलसी द्वारा जिला स्तर पर समिति का गठन किया जायेगा। निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार समिति द्वारा प्रत्येक पात्र आवेदक का साक्षात्कार लिया जायेगा। साक्षात्कार समिति में मुख्यालय से विषय विशेषज्ञों एवं अन्य को आमंत्रित किया जा सकता है।

(v) 50 प्रतिशत अंक साक्षात्कार पर तथा 50 प्रतिशत अंक स्नातक परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर दिया जाकर मेरिट सूची तैयार कर सफल/चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जायेगी। सफल अभ्यर्थियों को 02 सप्ताह में कार्यस्थल पर कार्य पर उपस्थिति देनी होगी अन्यथा कार्य पर उपस्थित न होने की दशा में प्रतीक्षा सूची से अन्य अभ्यर्थी को अवसर दिया जायेगा, इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय अंतिम होगा।

(vi) पदस्थापना जिला स्तर पर सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) द्वारा की जायेगी, इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

पद के कर्तव्य

जिला स्तरीय समन्वयक (समन्वयक वन अधिकार अधिनियम) (जिला स्तर)

1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन अंतर्गत सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में एफआरए शाखा में पदस्थ शाखा प्रभारी को वन अधिकार अधिनियम से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा- एफआरए एमपीआर, क्यूपीआर एवं समय-समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियों के संग्रहण एवं विश्लेषण में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
2. वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी समितियों/ग्रामसभा के सदस्यों / मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन अंतर्गत अधिनियम की धारा 3(1) एवं 3(2) में उल्लेखित अधिकारों से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा दावा पश्च कार्य जैसे सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के सुसंगत योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन प्रदान करना। प्रशिक्षण पश्चात वन अधिकार समितियों के सदस्य / मैदानी कर्मचारियों को वन अधिकार दावा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध तरीके से सामंजस्य स्थापित करना।
3. वन अधिकारों की मान्यता एवं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति (DLC) एवं जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLMC) के गठन/पुनर्गठन, बैठक एवं समिति द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशानुसार कार्यवाही किए जाने में आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
4. वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण, दस्तावेजों के संबंधित विभागों के अभिलेखों में अद्यतनीकरण, फौती, नामांतरण आदि कार्यों में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
5. विभाग द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
6. मैदानी क्षेत्र भ्रमण कर क्रियान्वयन संबंधित समस्याओं का आंकलन कर निराकरण हेतु संबंधित समितियों, विभागों एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित करना।
7. राज्य स्तर एवं अनुभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित कर क्रियान्वयन को बेहतर करना।
8. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
9. विभाग द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले मैदानी क्षेत्र के निरीक्षण, अध्ययन एवं तकनीकी सहयोग संबंधी भ्रमण के दौरान आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करना।
10. अधिनियम के व्यावहारिक जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न माध्यम से जैसे जागरूकता शिविर, कार्यशाला एवं परामर्शदात्री बैठकों इत्यादि में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
11. जिला स्तर पर वन अधिकार पर काम कर रहे गैर सरकारी संस्थाओ से वन अधिकार दावा व प्रबंधन प्रक्रिया में गति हेतु आवश्यक संवाद स्थापित करना।
12. एमआईएस सहायक (सहायक-वन अधिकार अधिनियम) के साथ सामंजस्यपूर्ण कार्य करना एवं वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक मागदर्शन प्रदान करना।
13. विभाग / विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
14. संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को रिपोर्टिंग करना।
15. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन आनुषांगिक कार्य ही करना।
16. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के समय वनों से संबंधित अन्य विधियों तथा नीतियों संबंधित आवश्यक कार्यवाही को राज्य स्तर से मागदर्शन प्राप्त कर कार्यवाही करना।
17. अनुभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना।

एमआईएस सहायक (सहायक-वन अधिकार अधिनियम)-(उपखण्ड स्तर)

1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन अंतर्गत अनुभाग / उपखण्ड में पदस्थ वन अधिकार शाखा प्रभारी को वन अधिकार अधिनियम से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा- एफआरए एमपीआर, क्यूपीआर एवं समय-समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियों के संग्रहण एवं विश्लेषण में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
2. वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी समितियों/ ग्रामसभा के सदस्यों/मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन अंतर्गत अधिनियम की धारा 3 (1) एवं 3(2) में उल्लेखित अधिकारों से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा दावा पश्च कार्य जैसे सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के सुसंगत योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन प्रदान करना। प्रशिक्षण पश्चात वन अधिकार समितियों के सदस्य/मैदानी कर्मचारियों को वन अधिकार दावा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध तरीके से सामंजस्य स्थापित करना।
3. वन अधिकारों की मान्यता एवं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन

क्रमशः

(पिछले पृष्ठ का शेष)

हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति के गठन/पुनर्गठन, बैठक एवं समिति द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशानुसार कार्यवाही किए जाने में आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

4. वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण, दस्तावेजों के संबंधित विभागों के अभिलेखों में अद्यतनीकरण, फौत्ती, नामांतरण आदि कार्यों में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
5. विभाग द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
6. मैदानी क्षेत्र भ्रमण कर क्रियान्वयन संबंधित समस्याओं का आंकलन कर निराकरण हेतु संबंधित समितियों, विभागों एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित करना।
7. जिला स्तर एवं ग्रामसभा तथा मैदानी स्तर के कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित कर क्रियान्वयन को बेहतर करना।
8. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच उपखण्ड/अनुभाग एवं मैदानी स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
9. विभाग द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले मैदानी क्षेत्र के निरीक्षण, अध्ययन एवं तकनीकी सहयोग संबंधी भ्रमण के दौरान आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करना।
10. अधिनियम के व्यावहारिक जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न माध्यम से जैसे जागरूकता शिविर, कार्यशाला एवं परामर्शदात्री बैठकों इत्यादि में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
11. मैदानी स्तर पर वन अधिकार पर काम कर रहे गैर सरकारी संस्थाओ से वन अधिकार दावा व प्रबंधन प्रक्रिया में गति हेतु आवश्यक संवाद स्थापित करना।
12. जिला परियोजना समन्वयक के साथ सामंजस्यपूर्ण कार्य करना एवं वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
13. विभाग / विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
14. पदेन सचिव, उपखण्ड स्तरीय समिति को रिपोर्टिंग करना।
15. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन आनुषांगिक कार्य ही करना।
16. वन अधिकार समितियों के सदस्य/मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना एवं समस्याओं का निराकरण में सहयोग करना।

17 आवेदन की अंतिम तिथियां :-

क्र.	विवरण	आवेदन करने की अंतिम तिथि
1	आवेदन करने की अंतिम तिथि	06 अक्टूबर 2025

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास रायगढ़ (छ.ग.)

आवेदन पंजीकरण क्रमांक----------------------

(कार्यालयीन उपयोग के लिये)

आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र
वर्ष 2025-26

1. आवेदक का नामः
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि (DD/MM/YYYY):
4. आवेदक की श्रेणी :
   (सामान्य/अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व.)
5. मूल निवासी :
   (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. निवास का पता ई-मेल सहित :(फोन/मोबाईल नंबर)
7. शैक्षणिक योग्यताः (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र	बोर्ड परीक्षा का नाम	शामिल होने का वर्ष	परीक्षा परिणाम	प्रतिशत
1	हाईस्कूल			
2	हायर सेकेण्डरी			
3	स्नातक			
4	अन्य			

8. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का अनुभव की कुल अवधिः
   (अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र</th><th rowspan="2">शासकीय/अशासकीय संस्था का नाम</th><th colspan="2">कार्य अवधि</th><th rowspan="2">कार्य की प्रकृति विवरण देवें</th></tr>
<tr><th>कब से</th><th>कब तक</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

घोषणा पत्र

मैं--------- घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी सही है। दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर मेरा आवेदन/नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

दिनांक----------- हस्ताक्षर---------
स्थान------------ नाम------------

नगर सेना, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाऐं
तथा राज्य आपदामोचन बल, मुख्यालय छत्तीसगढ़
सेक्टर 19 नवा रायपुर

क्रमांक/ 472 /स्था.3/ अग्निशमन भर्ती / 2025 नवा रायपुर दिनांक 17-09-2025

शुद्धि-पत्र

नगर सेना, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाऐं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय छत्तीसगढ़ सेक्टर 19 नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा अग्निशमन कर्मियों की भर्ती हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 713/स्था./भर्ती/2025 रायपुर दिनांक 12.06.2025 के अंतर्गत स्टेशन ऑफिसर (उप-निरीक्षक) वेतन मैट्रिक्स लेबल-7 के कुल 21 पद भर्ती हेतु विज्ञापित किये गये है।

उक्त संबंध में यह शुद्धि पत्र जारी किया जाता है कि विज्ञापित पद स्टेशन ऑफिसर/क्यूएम/एमटीओ/इंस्पेक्टर/ कंपनी कमाण्डर का पद नहीं है, क्योंकि स्टेशन ऑफिसर/क्यूएम/एमटीओ/इंस्पेक्टर/कंपनी कमाण्डर का पद भर्ती नियम अनुसार 100% पदोन्नति का पद है एवं इसका वेतन मैट्रिक्स लेबल 9 है एवं इस वर्ग के अधिकारी ए एव बी श्रेणी के प्रभारी (स्टेशन ऑफिसर) होते हैं। (छ०ग०अग्निशमन भर्ती नियम अनुसूची दो क्रमांक 01 एवं 02 अनुसार) जबकि विज्ञापन में उप-निरीक्षक का उल्लेख किया गया है।

विज्ञापित पद वस्तुतः फायर ऑफिसर का पद है, जो प्लाटून कमाण्डर/उपनिरीक्षक, (सब-इस्पेक्टर रैंक) का है तथा इसका वेतन मैट्रिक्स लेबल-7 है, जैसा कि विज्ञापन में दर्शाया गया है, साथ ही भर्ती नियम अनुसूची तीन के क्रमांक 01 अनुसार विज्ञापित पद की शैक्षणिक अर्हता "किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन में बी.एस.सी./बी.ई. की उपाधि या उसके समकक्ष" है, जिसे भी विज्ञापन में दर्शित किया गया है एवं इस वर्ग के अधिकारी सी एवं डी श्रेणी के प्रभारी (स्टेशन ऑफिसर) होते हैं। (छ०ग०अग्निशमन सेवा पद-संरचना स्वीकृति आदेश दिनांक 04.09.2018 एवं 23.06.2020 अनुसार)

भर्ती विज्ञापन में स्टेशन ऑफिसर का उल्लेख "सी एवं "डी" श्रेणी के परिपेक्ष्य में किया गया है, जिसे फायर ऑफिसर प्लाटून कमाण्डर / उपनिरीक्षक, (सब-इस्पेक्टर रैंक) पढ़ा एवं समझा जावे।

महानिदेशक
नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ
तथा एसडीआरएफ, मुख्यालय छत्तीसगढ़

आर.ओ.156/जी-252603624/6

HIGH COURT OF CHHATTISGARH BILASPUR
ADVERTISEMENT

Online applications are invited for recruitment to the post of "Translator" in High Court of Chhattisgarh, Bilaspur through CGVYAPAM:-

<table>
<tr><th>SI.No</th><th>Category</th><th>No. of Posts</th><th colspan="2">Posts Reserved for Divyang</th></tr>
<tr><td>1</td><td>UR</td><td>33 Posts (Including 9-Women)</td><td colspan="2">06 Posts</td></tr>
<tr><td>2</td><td>SC</td><td>13 Posts (Including 3-Women)</td><td>Posts identified by the committee constituted for the purpose</td><td rowspan="3">Blind & Low Vison Deafness, hearing impaired Locomotor disability include cerebral palsy disease-free leprosy, dwarfism, acide attack victim and muscular dystrophy Selfishness, intellectural disability, specific learning disability, autism and mental iliness.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ST</td><td>15 Posts (Including 4-Women)</td><td rowspan="2">OA OL CAL BL, HH, LV, OH, Acid attack victim, Muscular Dystrophy, Dwarfism, Leprosy Cured, Autism</td></tr>
<tr><td>4</td><td>OBC</td><td>11 Posts (Including 3-Women)</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>72 POST</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

Date of Examination 14.12.2025.

For further details, interested candidates may visit the website of https://vyapamcg.cgstate.gov.in/

Sd/-
(Mansoor Ahmed)
I/c Registrar General

आर.ओ.157/जी-252603692/5

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुविकल्पिय प्रश्नोत्तरी

1. भगवान बुद्ध के पुरातात्विक अवशेष 127 साल बाद भारत कब लौटे?
A.1898
B.2025
C.1947
D.2000

2. पिपरहवा उत्खनन किसने कराया था?
A.अलेक्जेंडर कनिंघम
B.जॉन मार्शल
C.विलियम क्लैक्सटन पेप्पे
D.जेम्स प्रिन्सेप

3. भूटान में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं?
A.सुधाकर दलेला
B.संदीप आर्य
C.हर्षवर्धन श्रृंगला
D.विनय क्वात्रा

4. भारत और किस देश ने हाल ही में दक्षिण चीन सागर में पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया?
A.जापान
B.फिलीपींस
C.वियतनाम
D.अमेरिका

5. चीन का ह्यूमनॉइड एआई रोबोट 'जुएबा' किस विषय पर शोध करेगा?
A.कृत्रिम बुद्धिमत्ता
B.पारंपरिक चीनी ओपेरा
C.अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
D.चिकित्सा विज्ञान

6. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC.के नए निदेशक कौन बने?
A.डॉ. एस. उन्नीकृष्णन नायर
B.डॉ. के. सिवन
C.डॉ. ए. राजराजन
D.डॉ. वी. नारायणन

7. गूगल एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाएगा?
A.हैदराबाद
B.चेन्नई
C.विशाखापट्टनम
D.बेंगलुरु

8. पेरू में हाल ही में खुदाई में कितने साल पुराना मकबरा मिला?
A.500 साल
B.1,000 साल
C.1,500 साल
D.2,000 साल

9. अल सल्वाडोर में राष्ट्रपति पद का कार्यकाल कितने साल कर दिया गया है?
A.4 साल
B.5 साल
C.6 साल
D.7 साल

10. भारत-रूस कार्य समूह का 11वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ?
A.मास्को
B.नई दिल्ली
C.सेंट पीटर्सबर्ग
D.मुंबई

11. अंडर-17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में रचना ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता?
A.उज्बेकिस्तान की मुखायो
B.चीन की झिन हुआंग
C.कजाख़िस्तान की मदाखिया उस्मानोवा
D.जापान की रिको इटो

12. 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किस भारतीय पहलवान ने जीता?
A.रचना
B.मोनी
C.अश्विनी विश्नोई
D.बबीता फोगाट

13. ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को कितने रन से हराया?
A.10 रन
B.8 रन
C.6 रन
D.4 रन

14. ओवल टेस्ट में भारत की जीत के नायक कौन रहे?
A.जसप्रीत बुमराह
B.मोहम्मद सिराज
C.रविचंद्रन अश्विन
D.रवींद्र जडेजा

15. मुरली श्रीशंकर ने कोसानोव मेमोरियल एथलेटिक्स मीट कहाँ जीती?
A.ताशकंद (उज्बेकिस्तान)
B.अल्माटी (कज़ाख़िस्तान)
C.दुबई (यूएई)
D.दोहा (कतर)

16. फिल्म "कटहल" को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किस लेखक की रचना पर मिला?
A.अशोक मिश्र
B.दीपक किंगरानी
C.यशोवर्धन
D.आशुतोष गोवारिकर

17. 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किन्हें मिला?
A.अजय देवगन और रणबीर कपूर
B.शाहरुख खान और विक्रांत मैसी
C.पंकज त्रिपाठी और आयुष्मान खुराना
D.अक्षय कुमार और राजकुमार राव

18. सब-जूनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2025 का विजेता राज्य कौन बना?
A.मणिपुर
B.गोवा
C.महाराष्ट्र
D.कर्नाटक

19. वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 में कैटी लेडेकी ने किस इवेंट में 7वां गोल्ड जीता?
A.400 मीटर फ्रीस्टाइल
B.1500 मीटर फ्रीस्टाइल
C.800 मीटर फ्रीस्टाइल
D.200 मीटर बैकस्ट्रोक

20. यूके डॉग सर्फिंग चैम्पियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई?
A.लंदन
B.बॉर्नमाउथ बे, डोरसेट
C.मैनचेस्टर
D.कार्डिफ़

21. भारत की पहली AI आंगनबाड़ी कहाँ खोली गई है?
A.पुणे, महाराष्ट्र
B.भोपाल, मध्यप्रदेश
C.वडधामना गाँव, नागपुर
D.औरंगाबाद, महाराष्ट्र

22. AI आंगनबाड़ी किस पहल के तहत शुरू की गई है?
A.डिजिटल इंडिया
B.मिशन शिक्षा
C.मिशन बाल भरारी
D.स्मार्ट एजुकेशन मिशन

23. केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर 4 रेलवे मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स से कितने किलोमीटर नेटवर्क बढ़ेगा?
A.420 किमी
B.574 किमी
C.600 किमी
D.750 किमी

24. 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना का लाभ वर्तमान में कितने बच्चों को मिल रहा है?
A.2,362
B.4,543
C.9,300
D.43,600

25. रायपुर स्थित एम्स की किस लैब को एनएबीएल मान्यता प्राप्त हुई?
A.पैथोलॉजी लैब
B.वायरोलॉजी लैब (वीआरडीएल)
C.बायोकैमिस्ट्री लैब
D.जेनेटिक लैब

26. जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन किस उम्र में हुआ?
A.75 वर्ष
B.77 वर्ष
C.79 वर्ष
D.81 वर्ष

27. भारतीय सेना का हाल ही में आयोजित AI आधारित अभ्यास कौन सा था?
A.ऑपरेशन शक्ति
B.दिव्य दृष्टि
C.तेज नजर
D.विजय शक्ति

28. डॉ. मयंक शर्मा किस पद पर नियुक्त हुए हैं?
A.रक्षा सचिव
B.वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवा)
C.मुख्य लेखा परीक्षक (रक्षा)
D.रक्षा मंत्री के सलाहकार

29. 'दिशोम गुरु' के नाम से प्रसिद्ध पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ?
A.अर्जुन मुंडा
B.शिबू सोरेन
C.बाबूलाल मरांडी
D.हेमंत सोरेन

30. EPFO ने 1 अगस्त 2025 से UAN जनरेशन के लिए किस ऐप को अनिवार्य कर दिया है?
A.आधार ऐप
B.उमंग ऐप
C.डीजी लॉकर ऐप
D.ई-श्रम ऐप

31. बिलासपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम को NBA मान्यता किस वर्ष तक बढ़ाई गई है?
A.2025
B.2026
C.2027
D.2028

32. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सावन माह में कहाँ रूद्राभिषेक किया?
A.महादेव घाट मंदिर
B.हटकेश्वरनाथ महादेव मंदिर
C.केदारेश्वर महादेव मंदिर
D.महाकालेश्वर महादेव मंदिर

33. हॉफ बिजली बिल योजना के तहत कितने यूनिट मासिक खपत तक 50% रियायत दी जा रही है?
A.50 यूनिट
B.75 यूनिट
C.100 यूनिट
D.150 यूनिट

34. कौशल तिहार 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A.केवल प्रशिक्षण देना
B.युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना
C.खेल प्रतियोगिता कराना
D.विदेश रोजगार उपलब्ध कराना

35. छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन कहाँ बनाया जा रहा है?
A.पुराना रायपुर
B.दुर्ग
C.नवा रायपुर
D.बिलासपुर

36. कौशल तिहार 2025 में कितने युवाओं का राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ?
A.188
B.250
C.288
D.350

37. आयुष्मान भारत योजना में उपचार मामलों में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है?
A.प्रथम
B.द्वितीय
C.तृतीय
D.चतुर्थ

38. बस्तर ओलंपिक को किस नए नाम से आयोजित करने की सहमति दी गई है?
A.खेलो इंडिया ग्रामीण गेम्स
B.खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स
C.खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स
D.राष्ट्रीय खेल महोत्सव

39. छत्तीसगढ़ के किस जिले में निकल, क्रोमियम और प्लेटिनम समूह के तत्वों की खोज हुई है?
A.बस्तर
B.महासमुंद
C.रायगढ़
D.कोरिया

40. रायपुर से जबलपुर की दूरी कितनी है, जिसे नई ट्रेन 8 घंटे में तय करेगी?
A.350 किमी
B.410 किमी
C.450 किमी
D.500 किमी

- **गीता प्रसाद,** कैरियर काउंसलर

Q&A-006

1	B	11	B	21	C	31	D
2	C	12	C	22	C	32	B
3	B	13	C	23	B	33	C
4	B	14	B	24	B	34	B
5	B	15	B	25	B	35	C
6	C	16	A	26	C	36	C
7	C	17	B	27	B	37	D
8	B	18	D	28	B	38	C
9	C	19	C	29	B	39	B
10	B	20	B	30	B	40	B

अस्वीकरण (Disclaimer) : इस प्रश्नोत्तरी में दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। फिर भी, यदि किसी प्रश्न या उत्तर में अनजाने में कोई त्रुटि रह जाती है, तो इसके लिए "रोजगार और नियोजन" जिम्मेदार नहीं होगा।

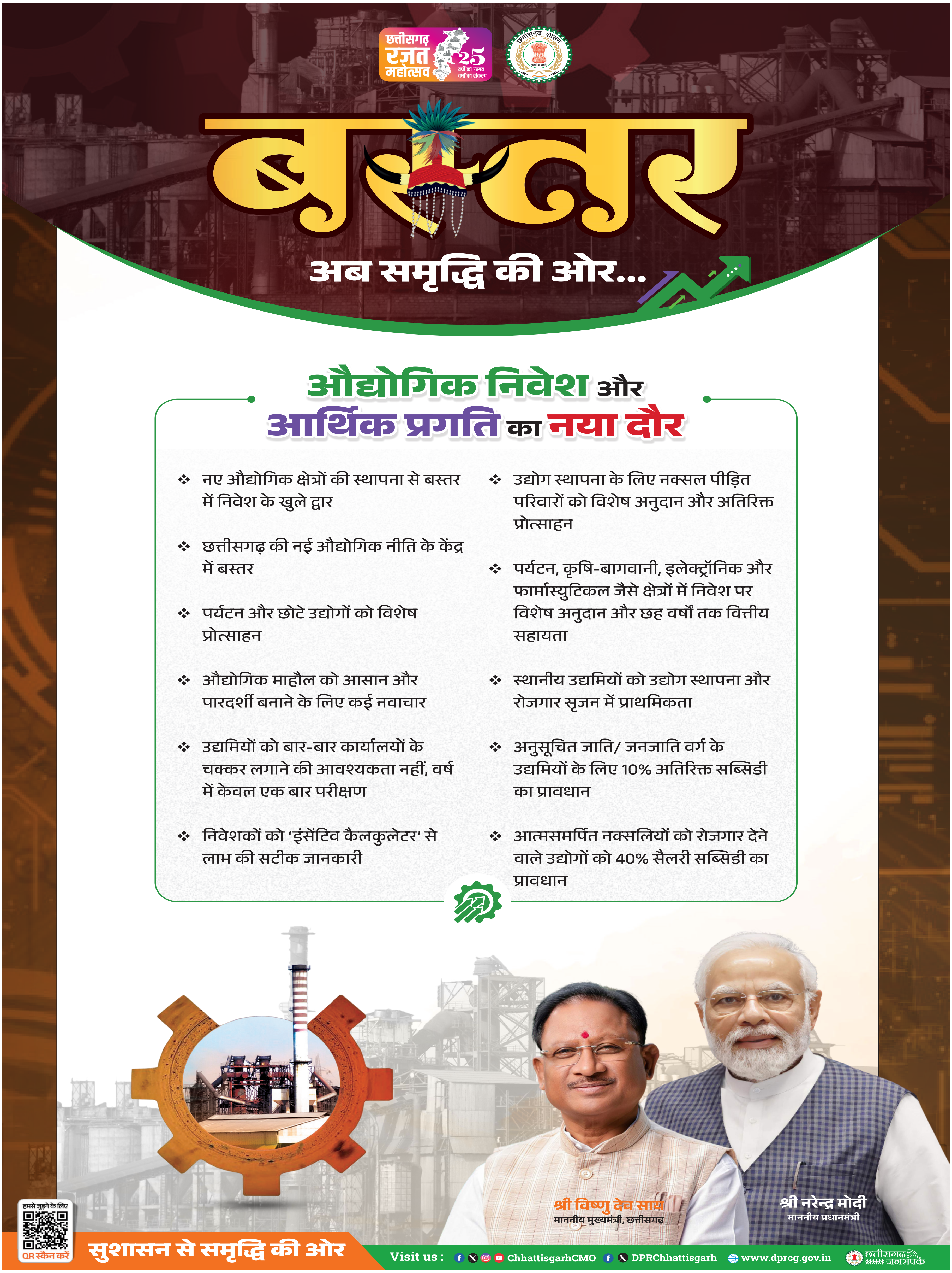

डॉ. रवि मित्तल - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लाट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित,
छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक - जवाहर लाल दरियो